सत्यमेव जयते

वित्त लेखे
(खण्ड - I)
2018-19

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड-I)

2018-19

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ
	खण्ड-I		
●	विषय-सूची	...	(i) - (iii)
●	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	...	(iv) - (vi)
●	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	...	(vii) - (xi)
1 :	वित्तीय स्थिति का विवरण	...	1 - 2
2 :	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण अनुबंध क - रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	...	3 - 8
3 :	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	...	9 - 13
4 :	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	...	14 - 19
5 :	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	...	20 - 24
6 :	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण	...	25 - 28
7 :	सरकार द्वारा दिए गए कर्जें और पेशगियों का विवरण	...	29 - 37
8 :	सरकार के निवेशों का विवरण	...	38
9 :	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण	...	39
10 :	सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण	...	40 - 41
11 :	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	...	42 - 43
12 :	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण	...	44 - 47
13 :	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	...	48 - 50
●	लेखे पर टिप्पणियाँ	...	51 - 83

खण्ड-II

भाग I

14	:	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	...	85 - 140
15	:	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	...	141 - 209
16	:	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	...	210 - 392
17	:	उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	...	393 - 410
18	:	सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	...	411 - 441
19	:	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	...	442 - 472
20	:	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण	...	473 - 474
21	:	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण	...	475 - 485
22	:	कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	...	486

भाग II

I	:	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	...	487 - 495
II	:	सबसिडी पर तुलनात्मक व्यय	...	496 - 527
III	:	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान (संस्थावार और योजनावार)	...	528 - 558
IV	:	बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं का विवरण	...	559 - 560
V	:	योजनागत योजना पर व्यय क- केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजनागत योजना) ख- राज्य योजनागत योजना	...	561 - 575
VI	:	राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट से बाह्य निधियां) (अअंकेक्षित आंकड़े)	...	576 - 581
VII	:	शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान (जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)	...	582 - 587
VIII	:	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	...	588 - 592
IX	:	सरकार की वचनबद्धता-अधूरे पूंजीगत कार्यों की सूची	...	593 - 655

X	:	पृथक किये गए वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय	...	656 - 659
XI	:	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	...	660 - 661
XII	:	सरकार की वचनबद्ध देयताएँ	...	662
XIII	:	राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है	...	663 - 668

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक् संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 10 (ii), 17(ख) (i), 17 (ग)(i) तथा 19), व्याख्यात्मक टिप्पणियों विवरण संख्या 5 का (7) एवं विवरण संख्या 14 का व्याख्यात्मक टिप्पणी (III) और परिशिष्टों को (V, VIII (i), VIII (ii), IX तथा X) झारखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यत: प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर अधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाऐं हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2018-19 वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

अतिमहत्वपूर्ण बातें

मैं निम्नलिखित अर्थपूर्ण विषयों / मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की शुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा लोक वित्त पर विधायी नियंत्रण बनाए रखते हैं ।

1. राज्य के सत्रह विभागों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 243 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध सरकारी लेखों से ₹ 1,061.32 करोड़ का आहरण किया, लेकिन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले ₹ 642.85 करोड़ की राशि के 222 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा नहीं किया। इस सम्बन्ध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹ 642.85 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत / अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2018-19 में व्यय का संभावित अधिकथन है ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 तक कुल ₹ 4,836 करोड़ की राशि का 18,065 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र, 31 मार्च 2019 तक बकाया था। आहरित अग्रिमों, जिसे लेखाबद्ध नहीं किया गया, अपव्यय / दुर्विनियोजन / भ्रष्टाचार आदि की संभावना को बढ़ाता है।

2. वर्ष 2018-19 के दौरान सोलह विभागों द्वारा प्रदान किये गए सहायक अनुदान के विरुद्ध ₹ 19,545.33 करोड़ की राशि का बकाया 4219 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इस संबंध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹ 19,545.33 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत / अधिकृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त 21,012 उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित ₹ 33,833.67 करोड़ की राशि वर्ष 2017-18 तक प्रस्तुति हेतु 31 मार्च 2019 को बकाया था। इस प्रकार मार्च 2019 तक ₹ 53,379 करोड़ की राशि का कुल 25,231 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुति के लिए बकाया था। उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अधिक संख्या में लम्बित रहना निधि का दुर्विनियोजन एवं भ्रष्टाचार की संभावना को बढ़ाता है।

3. वर्ष 2018-19 के दौरान 37 राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 913- राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश से प्राप्त सहायक अनुदान का अव्ययीत शेष की वसूली के अन्तर्गत कुल ₹ 1,403.12 करोड़ की राशि (सहायक अनुदान का अव्ययीत शेषों एवं अनुपयोगी योजना की निधियों) राज्य सरकार द्वारा जमा किया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं से संबंधित जमा राशि का विभाजन उपलब्ध नहीं है। जमा की गई राशि, जो कि वास्तविक राजस्व नहीं है, को राजस्व प्राप्तियों में शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष की अधिकथन है।

4. वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.) के संग्रह के स्वचालन के साथ लेखा को प्रमाणित करने की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा सभी लेन-देनों की नमूना जांच की अपेक्षा व्यापक जांच करना आवश्यक है। आंकड़ों तक वांछित पहुँच प्रदान किया जाना अभी तक शेष है। सभी जी.एस.टी. लेन-देनों से संबंधित आंकड़ों तक पहुँच नहीं होने के फलस्वरूप जी.एस.टी. प्राप्तियों का व्यापक लेखापरीक्षा नहीं हो पा रहा है। इसलिए, वर्ष 2018-19 के लेखे एक समय के अपवाद के रूप में नमूना जांच के आधार पर प्रमाणित है, ऐसा तब किया जाता था, जब अभिलेखों का रखरखाव मैन्यूली किया जाता था।

उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों का 31मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत विवरण दिया गया है।

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 5 अगस्त, 2020
नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विहंगावलोकन

1. **झारखण्ड राज्य** के वित्त लेखे, वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा, राजस्व तथा पूँजी लेखे पर आधारित वित्तीय परिणामों के साथ, लोक ऋण एवं दायित्वों तथा परिसम्पत्तियों का लेखा जैसा कि लेखे में दर्ज शेषों से निकाला गया, को प्रस्तुत करता है।

2. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड्स, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियाँ सम्मिलित हैं। विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान में बताए गए तरीकों को छोड़कर इस निधि से किसी भी राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट वर्गों के व्यय (उदाहरणस्वरूप संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभार स्वरूप होते हैं (प्रभारित व्यय) जिस पर विधायिका के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधायिका के द्वारा मत प्राप्त हैं।

समेकित निधि में दो अनुभाग समाविष्ट हैं : राजस्व तथा पूँजी (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुन: 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों में विभाजित किया गया, जैसे 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान'। इन तीन खण्डों को पुन: 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएँ' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग किसी खण्ड या उप-खण्ड में विभाजित नहीं है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में विभाजित किया गया है। राजस्व व्यय अनुभाग के इन खण्डों को पुन: 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी व्यय अनुभाग को आठ खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'लोक ऋण', 'उधार तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय परिशोधन' एवं 'आकस्मिकता निधि को अंतरण' में उप विभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय प्रकृति की है, की स्थापना कर इसे राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा जाता है कि वे वैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। 2018-19 के लिए झारखण्ड सरकार के आकस्मिकता निधि ₹ 5,00.00 करोड़ की है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जिसके लिए सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। लोक लेखे में वापसियों जैसे लघु बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (इनमें से दोनों ट्रॉंजिट शीर्ष, अंतिम रूप से दर्ज होने तक) सम्मिलित है। सरकार को उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अंतर्गत शामिल है। लोक लेखे में छह खण्ड, जैसे 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' एवं 'रोकड़ शेष' होते हैं। इन खण्डों को पुन: उप-खण्डों मे विभाजित किया गया है। लोक लेखा, विधायिका के मतों के अधीन नहीं होता है।

3. सरकारी लेखे एक छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मुख्य शीर्ष (चार अंकों का), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंकों का), लघु शीर्ष (तीन अंकों का), उप शीर्ष (दो अंको), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंकों का) तथा वस्तु शीर्ष (दो अंकों का)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य प्रकृति को, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य प्रकृति को, लघु शीर्ष कार्यक्रम/ गतिविधियों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को तथा वस्तु शीर्ष उद्देश्यों / व्यय की वस्तु इकाई को प्रस्तुत करता है।

4. लेखा मे वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष होते हैं जो नीचे दिए गए कोडिंग पैटर्न के अनुसार हैं (**मार्च 2019 तक संशोधित मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची** के अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ

4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. सामान्यत: वित्त लेखे (कुछ मामलों को छोड़ कर), लघु शीर्ष तक के लेनदेनों को दर्शाता है। वित्त लेखे निवल स्तर पर आकड़ों को दर्शाता है, उदाहरण स्वरूप वापसियों को व्यय से घटाकर लेखाकरण किया जाता है। विनियोग लेखे तथा विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँग, जहाँ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है से भिन्न रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

6. सरकारी लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखे की संरचना

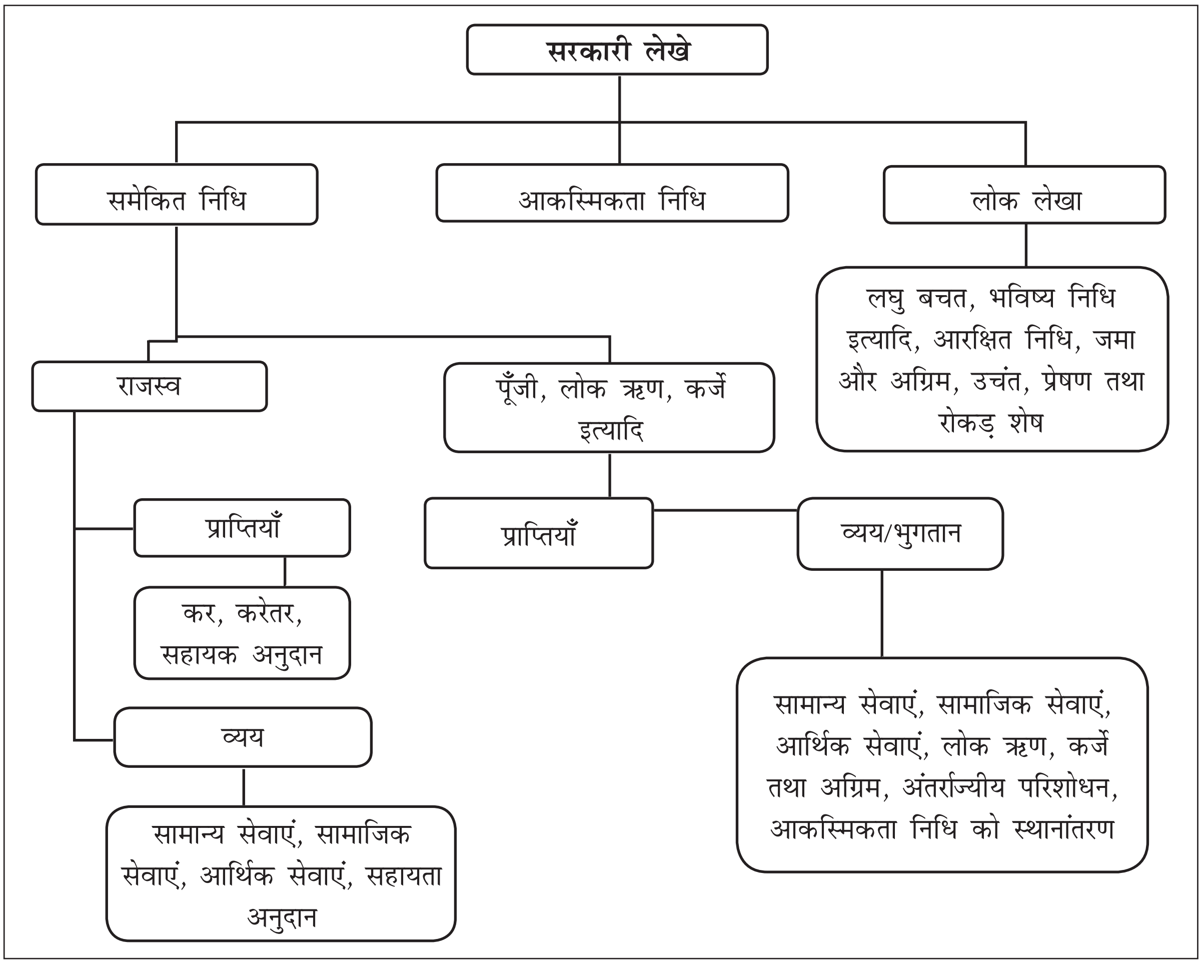

ख. वित्त लेखे में क्या अन्तर्विष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरणी जो राज्य सरकार के चालु वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति तथा लेनदेनों का संक्षिप्त ब्यौरा एवं लेखे पर टिप्पणियाँ का एक परिशिष्ट दर्शाया जाता है। **खण्ड I** के 13 विवरणों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** राज्य सरकार के परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, तथा विगत वर्ष के अन्त की स्थिति के साथ तुलनात्मक रूप में इस विवरण में दर्शाया जाता है।

2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** इस विवरण में, तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत जिसमें की सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता

है। इसके अतिरिक्त इस विवरण में एक अनुबंध जो कि सरकार के लेखा शेषों (निवेश सहित) को दर्शाता है, सम्मिलित है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय स्थिति को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राज्य सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों सरकार द्वारा दिए गए उधारों की वापसियाँ को दर्शाता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण सं. 14, 17 तथा 18 के सदृश है।

4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे के सामान्यत: लघु शीर्ष स्तर तक के प्रस्तुतीकरण से भिन्न इस विवरण में व्यय की प्रकृति तथा गतिविधि (व्यय का उद्देश्य) का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण खण्ड II के विवरण सं. 15, 16, 17 एवं 18 के सदृश है।

5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 16 के सदृश है।

6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त 'कर्जे तथा अग्रिम' शामिल हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमा' सम्मिलित हैं। इस विवरण में उधार-शोधन पर एक टिप्पणी सम्मिलित है तथा यह खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 17 के सदृश है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे कि सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायतशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकारों एवं व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवकों सहित) को दिए गए सभी उधार तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 18 के सदृश है।

8. **सरकार के निवेशों का विवरण :** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी (Equity capital) में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 19 के सदृश है।

9. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के लिए मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दिए गए गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करता है। यह विवरण भाग II के विस्तृत विवरण सं. 20 के सदृश है।

10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के सहायता अनुदान प्राप्तकर्ताओं जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायतशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों को दिए गए सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III में प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में दर्शाए गए निवल ऑकड़ों को, विनियोग लेखे में दर्शाए गए सकल ऑकड़ों के साथ होने वाले अनुरूपता के लिए सहायता करता है।

12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों तथा उपयोग का विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत ही चुकाया जाना चाहिए, जबकि वर्ष के पूंजीगत व्यय को राजस्व अधिक्य, लोक लेखे में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार के द्वारा किया जाना चाहिए।

13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण लेखे की शुद्धता को साबित करने में सहायता करता है। यह विवरण, खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 14,15,16,17,18 तथा 21 के सदृश है।

वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग समाहित हैं-भाग I में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 3 के सदृश है।

15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 4 के सदृश है, राज्य सरकार के योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना को दर्शाता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों को पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

16. **लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 5 के सदृश है, योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्ययों (वर्ष के दौरान तथा समेकित रूप में) प्रदर्शित करता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों के पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओ के मामलें में लघु शीर्ष के स्तर तक के पूँजीगत व्यय को विस्तृत रूप मे प्रस्तुत किए जाने हेतु ये विवरण उपशीर्ष के स्तर तक को दर्शाता है।

17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो कि खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 6 के सदृश है, राज्य सरकार के द्वारा उगाहे गए सभी तरह के ऋणों (बाजार ऋण, बॉन्ड्स, केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण, वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैं क के द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम का विस्तृत विवरण दर्शाता है। यह विवरण ऋण से संबंधित सूचनाओं को तीन स्तरों में प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋण का विस्तृत विवरण (ख) मैचुरिटी प्रोफाइल्स, तथा विभिन्न वर्षो में प्रत्येक कर्जे के विरूद्ध भुगतेय राशि तथा (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर प्रोफाईल एवं बाजार कर्जे दर्शाये अनुबंध।

18. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 7 के सदृश है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण निकाय-वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विस्तृत निवेश, विवरण सं. 16 तथा 19 के बीच की विसंगति, यदि है, को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 8 के सदृश है।

20. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण निकाय-वार सरकारी गारंटियों को विस्तार से दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 9 के सदृश है।

21. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अपरिशोधित राशियों का ब्यौरा, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेनदेनों की समेंकित स्थिति, तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को दर्शाता है।

22. **कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से विस्तृत निवेश को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में, 13 परिशिष्ट समाहित है जिसमें, विभिन्न मदों, वेतन, सबसिडी, सहायक अनुदान, बाह्य पोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार तथा राज्य योजनागत योजनाओं इत्यादि पर व्यय दर्शाया गया है। यह विस्तृत विवरण लेखे के उप शीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघु शीर्ष स्तर से नीचे) तक प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण सामान्यत: वित्त लेखे में उसे नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I या II में 'विषय-सूची' पर दर्शाया जाता है। यह विवरण परिशिष्टों के साथ पठित होने पर राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

ग सुलभ गणक

यह अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में दर्शाए गए विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों से जोड़ता है। (वैसे परिशिष्ट जिनका सीधा सम्पर्क संक्षिप्त विवरणों से नहीं है, उन्हें नीचे नहीं दर्शाया गया है)

मानक	**संक्षिप्त विवरण (खण्ड I)**	**विस्तृत विवरण (खण्ड II)**	**परिशिष्ट**
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजी प्राप्तियाँ	2, 3	14	–
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2, 10	–	III (सहायक अनुदान)
पूंजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	–
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	–
कर्ज की स्थिति/उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	–
कम्पनियों/निगमों आदि में सरकार का निवेश	8	16, 19	–
रोकड़	1, 2, 12, 13	–	–
लोक लेखा का शेष तथा उसमें किए गए निवेश	1, 2, 6, 7, 12, 13	21, 22	–
गारंटी	9	20	–
योजनाएं	–	–	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएं), V (योजनागत योजना व्यय) VI (सीधा अन्तरण)

घ. आवधिक समायोजन तथा खाता समायोजनः

लेखे में दर्शाए गए कुछ लेनदेन रोकड़ के वास्तविक गतिविधि को, दर्ज किए जाने के समय सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ लेन देन लेखा प्रेषण इकाईयों (कोषागार, प्रमंडलों इत्यादि) के द्वारा शामिल किया जाता है। उदाहरण स्वरूप लेनदेनों में सम्मिलित सभी प्रकार की कटौतियों का समायोजन (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिमों की वापसियाँ इत्यादि) कार्य प्रकृति के मुख्य शीर्षों को नामे (संबंधित विभाग के परिप्रेक्ष्य में) के द्वारा दर्ज कर वेतन से राजस्व/उधार/लोक लेखा को खाता समायोजन के द्वारा किया जाता है। उसी तरह 'शून्य' विपत्रों जहाँ, राशियों को समेकित निधि तथा लोक लेखे के बीच स्थानान्तरित किया जाता है, को लेखा प्रेषण इकाईयों के स्तर पर गैर रोकड़ लेनदेनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकर (ले. एवं हक.) के द्वारा राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों को क्रियान्वित किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण लेखे पर टिप्पणियों के परिशिष्ट(खण्ड I) तथा तत्सम्बन्धी विवरणों के पाद टिप्पणियों में दर्शाया जाता है।

आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

1. लोक लेखे में निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन, समेकित निधि को 'नामे', उदाहरण स्वरूप राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि के द्वारा किया जाता है।
2. लोक लेखे में जमा शीर्षों का लेखा को जमा, समेकित निधि को नामे के द्वारा किया जाता है।
3. सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) तथा राज्य सरकार सामुहिक बीमा योजना, जहाँ ब्याज को मुख्य शीर्ष '2049- ब्याज' को नामे तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि को जमा के द्वारा ब्याज का वार्षिक समायोजन किया जाता है।
4. केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार के योजनाओं के अन्तर्गत कर्ज माफी का समायोजन किया जाता है। उन समायोजनों (जहाँ केन्द्रीय ऋणों को मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएँ को जमा तथा मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण तथा अग्रिम को कोन्ट्रा इन्ट्री के द्वारा बट्टे खाते में डाला जाता है), का प्रभाव राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण, दोनों शीर्षों पर पड़ता है।

ङ. पूर्णाकंन :

पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

परिसम्पत्तियां [1]		संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियाँ	संदर्भ (क्रम संख्या) विवरणी	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2019 तक
					(₹ करोड़ में)
रोकड़					
(i)	कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		21	0.00	0.00
(ii)	विभागीय शेष		21	37.90	39.05
(iii)	स्थायी अग्रदाय		21	0.13	0.13
(iv)	रोकड़ शेष निवेश		21	3,54.56	1,67.90
(v)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 2(v)	21	(-)2,42.16	1,88.30
(vi)	उद्धिष्ट निधियों का निवेश [2]		22	0.00	4,00.00
पूंजीगत व्यय					
(i)	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	परिच्छेद 3(vi)	8, 16, 19	2,75.15	3,23.35
(ii)	अन्य पूंजीगत व्यय [3]		5, 16	6,66,86.45	7,73,49.96
(iii)	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)		परिच्छेद 3(x)	21	0.00	0.00
कर्ज एवं पेशगियाँ		परिच्छेद 3(v)	7, 18	1,92,91.97	2,07,29.99
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम			21	5.78	6.28
उचंत एवं विविध शेष [4]			21	1,32.14	5.42
प्रेषण शेष		परिच्छेद 3(ix)	12, 21	0.00	0.00
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य				0.00	0.00
जोड़				**8,65,41.92**	**9,92,10.38**

[1] परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकठे है। कृपया अनुभाग ''लेखे पर टिप्पणियां'' का नोट 1 (ii) भी देखें।

[2] उद्धिष्ट निधियों में से किय गे कम्पनियों आदि का हिस्सा पूँजी में किये गए निवेश को पूँजीगत व्यय में न दर्शा कर ''उद्धिष्ट निधियों से किये गए निवेशों'' के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

[3] 2017-18 के दौरान बिहार भवन के विनिवेश से प्राप्त 25.09 करोड़ को परिसंपप्तियों और देयताओं की गणना के लिए पूंजीगत व्यय से समायोजित किया गया है।

[4] इस विवरणी में लाईन मद ''ऊचंत एवं विविध शेष'' में ''रोकड़ शेष निवेश लेखा'' को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-क्रमांत

दायित्व		संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2019 तक
		लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरणी		
					(₹ करोड़ में)
उधार (लोक ऋण)					
(i)	आतंरिक ऋण		6, 17	5,37,99.09	5,84,36.19
(ii)	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
(क)	योजनेतर कर्ज	परिच्छेद 3(xiv)	6, 17	17.57	15.79
(ख)	राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	परिच्छेद 3(xiv)	6, 17	22,15.29	23,23.28
(iii)	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)		परिच्छेद 3(x)	21	5,00.00	5,00.00
लोक लेखा का दायित्व					
(i)	अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि		12, 17, 21	11,42.18	12,11.11
(ii)	जमा	परिच्छेद 3 (viii)(क)	12, 17, 21	1,83,69.87	1,98,66.47
(iii)	आरक्षित निधियां	परिच्छेद 3 (viii)(क) (घ)	12, 21, 22	15,51.04	19,30.09
(iv)	प्रेषण शेष		13	39.67	99.27
(v)	उचंत और विविध शेष [5]	परिच्छेद 3 (ix)	12, 21	0.00	0.00
	व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य[6]			89,07.21	1,48,28.18
	जोड़			**8,65,41.92**	**9,92,10.38**

[5] ऊचंत एवं विविध शेष में रोकड़ शेष निवेश लेखा शामिल नहीं है।

[6] प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2018-19	2017-18		2018-19	2017-18
		भाग-I समेकित निधि **अनुभाग - अ राजस्व**			
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
राजस्व प्राप्तियां *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*			**राजस्व व्यय** *(संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*		
राज्य का निजी राजस्व	**2,30,10.02**	**2,02,00.11**			
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया) *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	1,47,52.04	1,23,53.44	वेतन[1] *(संदर्भ-विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट -I)*	1,20,91.42	1,11,74.51
(ii) करेतर राजस्व *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	**82,57.98**	**78,46.67**	सहायक अनुदान[2] *(संदर्भ-विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट -III)*	**1,79,75.81**	**2,07,13.99**
			सब्सिडी *(संदर्भ-परिशिष्ट -II)*	20,92.03	14,39.76
ब्याज प्राप्तियां *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	47.20	1,68.88	**सामान्य सेवाएं** *(संदर्भ-विवरण 4 एवं 15)*	**1,26,39.04**	**1,19,80.10**
अन्य *(संदर्भ-विवरण 3)*	82,10.78	76,77.79	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा *(संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	48,51.97	46,61.68
			पेंशन *(संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)*	59,91.48	59,13.24
			अन्य *(संदर्भ-विवरण 4-ख)*	17,95.59	14,05.18

[1] वेतन, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों को जोड़ दिया जाता है। इस विवरणी में ''सामाजिक'', ''सामान्य'' एवं ''आर्थिक'' सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, आर्थिक सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिपण्णी -2 में स्पष्ट किया गया है।

[2] सरकार द्वारा सहायता अनुदान संविधिक नियमों, कंपनियों, स्वायत निकायों, आदि को दिए जाते हैं जिन्हें एक लाइन मद में ऊपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाइन मद ''स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन'' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2018-19	2017-18		2018-19	2017-18
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)*	52,27.07	45,85.75
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	2,39,06.16	2,11,43.63	**आर्थिक सेवाएं** *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)*	6,05.36	10,57.96
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	92,35.52	1,14,12.29	**स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन** *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)*	0.00	0.00
कुल राजस्व प्राप्तियां	**5,61,51.70**	**5,27,56.03**	**कुल राजस्व व्यय**	**5,06,30.73**	**5,09,52.07**
राजस्व घाटा	**0.00**	**0.00**	**राजस्व अधिशेष**	**55,20.97**	**18,03.96**
		अनुभाग- ब : पूंजीगत			
पूंजीगत प्राप्तियां *(संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)*	0.00	25.09	**पूंजीगत व्यय** [3] *(संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)*		
			सामान्य सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)*	7,91.04	8,07.12
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)*	16,15.45	15,28.06
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)*	83,05.22	96,17.53
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**0.00**	**25.09**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**1,07,11.71**	**1,19,52.71**
कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी *(संदर्भ-विवरण 3,7 एवं 18)*	47.57	42.41	**संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ** *(संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)*		
			सामाजिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	23.23	31.70
			आर्थिक सेवाएं *(संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)*	14,15.48	17,64.38
			अन्य *(संदर्भ-विवरण 7)*	46.88	55.59
कुल कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी	**47.57**	**42.41**	**कुल संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ**	**14,85.59**	**18,51.67**

[3] वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 'वेतन' व्यय के रूप में मुख्य शीर्षों '4515' एवं '5054' के अंतर्गत ₹ 46.36 करोड़ एवं ₹ 46.60 करोड़ शामिल है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2018-19	**2017-18**		**2018-19**	**2017-18**
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
लोक ऋण प्राप्तियां *(संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)*			**लोक ऋण का पुनर्भुगतान** *(संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)*		
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियां आदि) *(संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)*	75,30.52	79,05.24	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियां आदि) *(संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)*	28,93.42	27,88.46
भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)	2,72.91	2,31.61	भारत सरकार से कर्ज *(संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)*	1,66.68	1,61.04
कुल लोक ऋण प्राप्तियां	**78,03.43**	**81,36.85**	**कुल लोक ऋण का पुनर्भुगतान**	**30,60.10**	**29,49.50**
अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00	अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	**78,51.00**	**81,79.26**	**कुल पूंजीगत व्यय**	**1,52,57.40**	**1,67,53.88**
कुल प्राप्तियां समेकित निधि *(संदर्भ-विवरण 3)*	6,40,02.70	6,09,60.38	**कुल व्यय समेकित निधि** *(संदर्भ-विवरण 4)*	6,58,88.13	6,77,05.95
समेकित निधि में कमी	18,85.43	67,45.57	समेकित निधि में अधिशेष	0.00	0.00

भाग- II आकस्मिकता निधि

आकस्मिकता निधि *(संदर्भ-विवरण 21)*	0.00	0.00	**आकस्मिकता निधि** *(संदर्भ-विवरण 21)*	0.00	0.00

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः

	प्राप्तियां			संवितरण	
	2018-19	2017-18		2018-19	2017-18
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*	
		भाग III -लोक लेखा [4]			
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि *(संदर्भ-विवरण 21)*	11,20.04	10,16.43	**अल्प बचत** (संदर्भ-विवरण 21)	10,51.11	9,49.91
आरक्षित एवं शोधन निधियां *(संदर्भ-विवरण 21)*	4,21.00	4,01.00	आरक्षित एवं शोधन निधियां *(संदर्भ-विवरण 21)*	41.95	1,09.16
जमा *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,28,79.34	1,56,51.26	**जमा** *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,13,82.74	1,09,28.88
पेशगियाँ *(संदर्भ-विवरण 21)*	3,03.10	3,68.94	**पेशगियाँ** *(संदर्भ-विवरण 21)*	3,03.61	3,69.77
उचंत एवं विविध [5] *(संदर्भ-विवरण 21)*	3,29,15.53	6,12,10.24	**उचंत एवं विविध [5]** *(संदर्भ-विवरण 21)*	3,26,03.30	6,03,81.45
प्रेषण **(संदर्भ-विवरण 21)**	1,06,47.59	1,05,58.88	**प्रेषण** *(संदर्भ-विवरण 21)*	1,05,87.99	1,04,66.40
कुल प्राप्तियां लोक लेखा *(संदर्भ-विवरण 21)*	**5,82,86.60**	**8,92,06.75**	**कुल व्यय लोक लेखा** *(संदर्भ-विवरण 21)*	**5,59,70.70**	**8,32,05.57**
लोक लेखा में कमी	**0.00**	**0.00**	**लोक लेखा में अधिशेष**	**23,15.90**	**60,01.18**
अथ रोकड़ शेष	**(-)2,42.16**	**5,02.26**	**अंत रोकड़ शेष**	**1,88.30**	**(-)2,42.16**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**4,30.46**	**0.00**	**रोकड़ शेष में कमी**	**0.00**	**7,44.42**

[4] विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया खण्ड II में विवरणी सं. 21 देखें।

[5] ''उचंत एवं विविध में'' ''अन्य लेखे'' जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा मुख्य शीर्ष 8673 इत्यादि शामिल है। इन ''अन्य लेखों'' के आंकड़ों के चलते आंकड़े बहुत बड़ा दिखाता है। विस्तृत ब्योरे कृपया विवरणी सं. 21 में देखा जाए।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः
विवरण संख्या -2 का अनुबन्ध
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को
		(₹ करोड़ में)
(क) सामान्य रोकड़ शेष-		
(1) रिज़र्व बैंक के पास जमा 1	(-)2,42.16	1,88.30
(2) रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	3,54.56	1,67.90
जोड़- (क)	**1,12.40**	**3,56.20**
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेष [2] -		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारीयों के पास रोकड़	37.90	39.05
(2) विभाग के अधिकारीयों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	0.13	0.13
(3) कर्नान्कित निधियों का निवेश	0.00	4,00.00
जोड़- (ख)	**38.03**	**4,39.18**
जोड़ - (क) और (ख)	**1,50.43**	**7,95.38**

[1] शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत शेष, 10 अप्रैल 2019 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित अन्तर्शासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात् ही निकला जा सकता है।

'रिजर्व बैंक के पास जमा' के संबंध में लेखे में परिलक्षित आँकड़े (₹ 188.30 करोड़ नामे) और रिजर्व बैंक द्वारा सूचित कये गए आँकड़े (₹ 16.49 करोड़ जमा) के बिच ₹ 171.81 करोड़ (निवल नामे) का अंतर था जो रोकड़ शेष में सम्मिलित है। वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 170.20 करोड़ के विसंगति विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को मिलान करने एंव भारतीय रिजर्व जमा शेष में आवश्यक सुधार करने हेतु भेज दिया गया है तथा अक्टूबर 1987 के पूर्व अवधि के लिए शेष ₹ 1.61करोड़ (नामे) का अंतर समाधान के अधीन है (जुलाई 2019)

[2] इस रोकड़ शेष स्थिति में, बैंक खाते में स्थानांतरित अव्ययित शेष शामिल नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य :** कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, 'रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य' का निर्माण करते है। शीर्ष 'रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते है। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से कोषागारों, विभागों एवं निवेषों के रोकड़ शेष, को 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमांत
विवरण संख्या -2 का अनुबन्ध-क्रमांत
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश-क्रमांत

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष :** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गए करार के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष [3] ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउंटरों पर, अन्तर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागरों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो, तो न्यूनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पुनर्निवेश किया जाता है।

जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्व नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र पर पुनः छूट देती है, ताकि काम को पूरा किया जा सके, यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स के लिए आवेदन करती है।

(ग) दिनांक 1 फरवरी 2016 से प्रभावी राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 7,20.00 करोड़ थी। सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उसके बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने पर बैंक ने भी अपनी सहमति दी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	303
(ii)	दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	58
(iii)	दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा	शून्य
(iv)	दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट्स नहीं लिया गया।	शून्य
(v)	दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट्स लिया गया था।	10

(घ) राज्य सरकार द्वारा ₹ 88,22.55 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट ₹ 20,30.22 करोड़ 2018-19 में लिया गया था एवं इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे 6003-110 शीर्ष के अंतर्गत जमा किया गया एवं उसका पुनर्भुगतान करने के पश्चात 'घटाएँ-जमा' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया है स यद्यपि लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 6.23 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

(ड़) ₹ 1,67.90 करोड़ का निवेश रोकड़ शेष से अन्य राज्य सरकारों के प्रतिभूतियों में किया गया। रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश पर ₹ 31.43 करोड़ का ब्याज मिला।

(च) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया था।

(छ) उद्दिष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 22 में दिया गया है।

---

[3] उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाते है, किन्तु इसे 16 अप्रैल तक निकाल जाता है, जो साधारणतः 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

3. प्राप्तियों का विवरण
(समेकित निधि)

विवरण		वास्तविकी	
		2018-19	2017-18
			(₹ करोड़ में)
	I. राजस्व प्राप्तियाँ		
क.	**कर राजस्व**	**3,86,58.20**	**3,34,97.07**
क. 1	**निजी कर राजस्व**	**1,47,52.04**	**1,23,53.44**
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,74.96	57,14.70
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	82,00.84	41,23.88
	राज्य उत्पाद शुल्क	10,82.82	8,40.81
	वाहन कर	8,63.94	7,78.37
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,51.04	4,69.34
	विद्युत कर तथा शुल्क	2,09.07	1,83.50
	भू-राजस्व	3,89.38	1,56.01
	आय पर अन्य कर तथा व्यय	78.61	73.98
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.38	12.82
	कृषि आय पर कर	0.00	0.02
	होटल प्राप्तियां	0.00	0.01
	माल तथा यात्री कर	0.00	0.00
क. 2	**संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का हिस्सा**	**2,39,06.16**	**2,11,43.63**
	निगम कर	83,13.36	64,74.67
	आय पर निगम कर से भिन्न कर	61,22.43	54,67.42
	सेवा कर	2,19.99	24,03.90
	संघ उत्पाद शुल्क	11,26.11	22,30.40
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	4,70.90	21,34.44
	सीमा शुल्क	16,94.50	21,33.80
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	59,00.18	2,99.20
	आय पर अन्य कर तथा व्यय	43.30	0.00
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	12.34	(-)0.01
	धन कर	3.05	(-)0.19
	जोड़ क	**3,86,58.20**	**3,34,97.07**

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण		वास्तविकी	
		2018-19	2017-18
			(₹ करोड़ में)
ख.	**करेतर राजस्व**	**82,57.98**	**78,46.67**
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	59,34.64	59,41.36
	शिक्षा, खेलकुद, कला तथा संस्कृति	5,89.92	19.46
	मुख्य सिंचाई	3,20.51	1,31.46
	शहरी विकास	2,65.34	1,21.83
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,76.80	1,91.83
	सड़क तथा सेतु	1,43.31	73.37
	डेरी विकास	1,37.55	3.32
	श्रम तथा रोजगार	85.98	87.63
	ग्राम तथा लघु उद्योग	78.86	4.45
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	69.91	2,18.16
	पुलिस	51.08	51.47
	आवास	50.39	24.56
	ब्याज प्राप्तियां	47.20	1,68.88
	उर्जा	42.47	5.61
	उद्योग	38.41	1.14
	अन्य सामान्य सेवाएं	36.87	79.41
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	27.05	83.40
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	25.98	14.22
	मध्यम सिंचाई	21.05	1,42.69
	लोक सेवा आयोग	15.48	5.96
	फसल कृषि -कर्म	15.23	1,66.19
	वानिकी तथा वन्य जीवन	14.79	4.44
	लोक निर्माण कार्य	9.55	14.30

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविकी	
	2018-19	2017-18
		(₹ करोड़ में)
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.47	12.37
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	8.46	1,35.78
जल पूर्ति तथा सफाई	8.45	77.09
जेल	6.10	6.32
मछली पालन	5.83	9.52
सिविल पूर्ति	5.67	14.67
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभों का अंशदान तथा वसूलियां	5.22	4.77
लघु सिंचाई	3.27	4.63
पशुपालन	2.33	10.57
अन्य ऊद्योग	1.79	0.21
सहकारिता	1.64	2.37
पर्यटन	0.88	1.07
नगरविमानन	0.34	6.02
आपूर्ति एवं निस्तारण	0.10	0.00
परिवार कल्याण	0.03	0.01
सामग्री एवं मुद्रण	0.01	4.31
सूचना एवं प्रसार	0.01	0.63
सड़क परिवहन	0.01	0.01
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	1.06
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.00	0.11
भूमि सुधार	0.00	0.01
जोड़ ख	**82,57.98**	**78,46.67**

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण			वास्तविकी	
			2018-19	2017-18
				(₹ करोड़ में)
	II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
ग.	**केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान**		**92,35.52**	**1,14,12.29**
ग. 1	**योजनेतर अनुदान**		**0.00**	**0.00**
		संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00	0.00
		राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	0.00	0.00
		अन्य अनुदान	0.00	0.00
ग. 2	**राज्य/ संघक्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		**0.00**	**0.00**
		ब्लॉक अनुदान (बाह्य सम्पोषित परियोजना सहित)	0.00	0.00
		संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00	0.00
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	0.00	0.00
		अन्य अनुदान	0.00	0.00
ग. 3	**केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		0.00	0.00
ग. 4	**केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		0.00	0.00
ग. 5	**विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		0.00	0.00
ग. 6	**केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान**		69,96.85	79,85.24
ग. 7	**वित्त आयोग अनुदान**		10,59.89	15,83.03
ग. 8	**अन्य अंतरण/ राज्यों को अनुदान**		**11,78.78**	**18,44.02**
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान		73.54	54.71
	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान		63.33	1,09.14
	जीएसटी को लागू करने के कारण हुए राजस्व घाटे का हर्जाना		10,29.00	12,65.00
	केन्दीय बिक्री कर के चरणबद्ध तरीके से हटाने के कारण हुए राजस्व घाटे का हर्जाना		0.00	2,74.90
	अन्य अनुदान		12.91	1,40.27
	जोड़ ग		**92,35.52**	**1,14,12.29**
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)		**5,61,51.70**	**5,27,56.03**

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमांत
(समेकित निधि)

विवरण			वास्तविकी	
			2018-19	2017-18
				(₹ करोड़ में)
	III- पूंजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियां			
घ.	**पूंजी प्राप्तियाँ**			
	विनिवेश		0.00	0.00
	अन्य		0.00	25.09
	जोड़ घ		**0.00**	**25.09**
ङ	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**78,03.43**	**81,36.85**
ङ 1	**राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण**		**75,30.52**	**79,05.24**
		बाजार कर्ज	55,09.00	59,99.65
		राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	17,64.26	16,00.00
		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	0.00	0.00
		अन्य संस्थाओं से कर्ज	2,57.26	3,05.59
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रभूतियाँ	0.00	0.00
		क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	0.00	0.00
		अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00
ङ 2	**केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम**		2,72.91	2,31.61
		योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	2,72.91	2,31.61
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
		केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
	जोड़ ङ		**78,03.43**	**81,36.85**
च.	**राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वासुलियाँ)[1]**		**47.57**	**42.41**
छ.	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**		**0.00**	**0.00**
	कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)		**6,40,02.70**	**6,09,60.38**

[1] खंड -I के विवरण सं. 7 एवं खंड- II के विवरण सं. 18 में विस्तृत विवरण देखें।

4. व्यय का विवरण
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(₹ करोड़ में)
क. कार्यात्मक व्यय				
क. सामान्य सेवाएँ				
क. 1 राज्य के अंग				
संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	89.09	0.00	0.00	89.09
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	9.86	0.00	0.00	9.86
मंत्री परिषद	18.75	0.00	0.00	18.75
न्याय प्रशाशन	4,37.53	0.00	0.00	4,37.53
निर्वाचन	1,05.63	0.00	0.00	1,05.63
क. 2 राजकोषीय सेवाएँ				
भू-राजस्व	3,18.62	0.00	0.00	3,18.62
स्टाम्प एवं पंजीकरण	22.08	0.00	0.00	22.08
राज्य उत्पाद शुल्क	21.99	0.00	0.00	21.99
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	83.06	0.00	0.00	83.06
वाहन कर	7.55	0.00	0.00	7.55
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.70	0.00	0.00	1.70
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.92	54.66	0.00	57.58
ब्याज अदायगियाँ	48,51.97	0.00	0.00	48,51.97
क. 3 प्रशासनिक सेवाएँ				
लोक सेवा आयोग	13.68	0.00	0.00	13.68
सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	99.75	0.00	0.00	99.75
जिला प्रशाशन	6,95.81	0.00	0.00	6,95.81
खजाना एवं लेखा प्रशासन	14.48	0.00	0.00	14.48
पुलिस	43,76.36	4,63.20	0.00	48,39.56
जेल	1,90.92	0.00	0.00	1,90.92
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.98	0.00	0.00	1.98
लोक निर्माण कार्य	1,34.31	2,69.05	0.00	4,03.36
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	1,61.18	4.13	0.00	1,65.31
क.4 पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ				
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृति लाभ	59,91.48	0.00	0.00	59,91.48
विविध सामान्य सेवाएँ	4.96	0.00	0.00	4.96
जोड़ सामान्य सेवाएँ	**1,76,55.66**	**7,91.04**	**0.00**	**1,84,46.70**

4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
					(₹ करोड़ में)
	क. कार्यात्मक व्यय -क्रमशः				
ख	**सामाजिक सेवाएँ**				
ख.1	**शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति**				
	सामन्य शिक्षा	72,88.31	3,56.38	0.00	76,44.69
	तकनिकी शिक्षा	4,91.93	0.00	0.00	4,91.93
	खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	49.11	0.00	0.00	49.11
	कला एवं संस्कृति	14.66	0.00	0.00	14.66
ख.2	**स्वास्थ एवं परिवार कल्याण**				
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ	30,17.23	2,73.39	0.00	32,90.62
	परिवार कल्याण	1,05.78	0.00	0.00	1,05.78
ख.3	**जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास**				
	जल पूर्ति एवं सफाई	13,79.57	4,00.12	0.00	17,79.69
	आवास	17.23	1,36.70	0.00	1,53.93
	शहरी विकास	19,02.30	30.00	23.23	19,55.53
ख.4	**सूचना एवं प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रचार	1,60.04	12.83	0.00	1,72.87
ख.5	**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,46.45	3,94.59	0.00	15,41.04
ख.6	**श्रमिक एवं श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार	1,18.05	0.00	0.00	1,18.05
ख.7	**समाज कल्याण एवं पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	20,89.54	0.00	0.00	20,89.54
	पोषण	5,47.47	0.00	0.00	5,47.47
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	4,26.60	0.00	0.00	4,26.60
ख.8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.30	11.44	0.00	11.74
	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	31.46	0.00	0.00	31.46
	जोड़ सामाजिक सेवाएँ	**1,87,86.03**	**16,15.45**	**23.23**	**2,04,24.71**

4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण		राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
					(₹ करोड़ में)
	क. कार्यात्मक व्यय -क्रमशः				
ग	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	**कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप**				
	फसल कृषि कर्म	4,67.74	0.00	0.00	4,67.74
	मृदा एवं जल संरक्षण	1,02.89	2,60.41	0.00	3,63.30
	पशुपालन	1,68.36	8.97	0.00	1,77.33
	डेरी विकास	1,42.99	0.00	0.00	1,42.99
	मछलीपालन	53.76	51.50	0.00	1,05.26
	वानिकी एवं वन्य जीवन	5,19.10	0.00	0.00	5,19.10
	खाद्य संग्रहण एवं भंडारण	0.00	3.86	0.00	3.86
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1,65.55	0.00	0.00	1,65.55
	सहकारिता	1,57.33	65.60	0.	2,22.93
	अन्य कृषि कार्यक्रम	11.78	0.00	0.00	11.78
ग.2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	4,85.37	0.00	0.00	4,85.37
	ग्राम रोजगार	33,91.95	0.00	0.00	33,91.95
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	35,54.32	24,60.88	2.39	60,17.59
ग.3	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	मुख्य सिंचाई	1,65.41	4,37.10	0.00	6,02.51
	मध्यम सिंचाई	1,50.62	7,09.17	0.00	8,59.79
	लघु सिंचाई	83.39	3,11.96	0.00	3,95.35
	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	0.00	0.00
	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	0.00	18.22	0.00	18.22
ग.4	**ऊर्जा**				
	बिजली	24,90.23	0.00	14,13.09	39,03.32
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	1,99.99	0.00	0.00	1,99.99
ग.5	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	1,07.30	0.00	0.00	1,07.30
	उद्योग	1,97.43	0.00	0.00	1,97.43

4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
					(₹ करोड़ में)
	क. कार्यात्मक व्यय -क्रमांत				
	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	39.82	0.00	0.00	39.82
	उद्योगों तथा खनिज पर अन्य परिव्यय	0.00	6.50	0.00	6.50
ग.6	**परिवहन**				
	नगर विमानन	4.66	12.97	0.00	17.63
	सड़क एवं सेतु	2,53.19	38,43.01	0.00	40,96.20
	सडक परिवहन	0.00	9.56	0.00	9.56
	अन्य परिवहन सेवाएँ	1,29.00	5.00	0.00	1,34.00
ग.7	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**				
	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	54.36	0.00	0.00	54.36
	पर्यटन	47.40	99.37	0.00	1,46.77
	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	21.51	0.00	0.00	21.51
	सिविल पूर्ति	10,20.26	0.00	0.00	10,20.26
	अन्य आर्थिक सेवाएँ	3.33	1.14	0.00	4.47
	जोड़ आर्थिक सेवाएं	**1,41,89.04**	**83,05.22**	**14,15.48**	**2,39,09.74**
घ	**ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	0.00	0.00	46.88	46.88
च	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	0.00	28,93.42	0.00	28,93.42
	केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	1,66.68	0.00	1,66.68
छ	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**				
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	**0.00**	**30,60.10**	**46.88**	**31,06.98**
	जोड़ समेकित निधि व्यय	**5,06,30.73**	**1,37,71.81**	**14,85.59**	**6,58,88.13**

4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2016-17			2017-18			2018-19		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ में)

ख. व्यय की प्रकृति

	व्यय का उद्देश्य	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	वेतन	88,88.99	37.91	**89,26.90**	1,11,74.50	46.36	**1,12,20.86**	1,20,91.42	46.60	**1,21,38.02**
2	सहायक अनुदान (गैर-वेतन)	1,17,66.31	0.00	**1,17,66.31**	1,23,26.11	0.00	**1,23,26.11**	87,27.35	0.00	**87,27.35**
3	मुख्य कार्य (राज्य योजना)	1.16	1,00,31.41	**1,00,32.57**	0.00	1,11,14.84	**1,11,14.84**	0.88	99,96.48	**99,97.36**
4	पूंजीगत परिसम्पति के लिए सहायक अनुदान	66,76.89	1,00.00	**67,76.89**	64,41.73	0.00	**64,41.73**	73,71.03	0.00	**73,71.03**
5	पेंशन प्रभार[1]	41,35.29	0.00	**41,35.29**	59,13.24	0.00	**59,13.24**	59,91.48	0.00	**59,91.48**
6	ब्याज अदायगियां	41,72.25	0.00	**41,72.25**	46,61.68	0.00	**46,61.68**	48,51.97	0.00	**48,51.97**
7	सहायक अनुदान (वेतन)	17,83.83	5.00	**17,88.83**	19,46.15	0.00	**19,46.15**	18,77.41	0.00	**18,77.41**
8	उधार का पुनर्भुगतान	0.00	20,77.88	**20,77.88**	0.00	29,49.50	**29,49.50**	0.00	30,60.09	**30,60.09**
9	आपूर्ति एवं सामग्रियाँ	11,29.97	40.33	**11,70.30**	8,40.07	68.25	**9,08.32**	8,76.10	63.42	**9,39.52**
10	ऋण एवं अग्रिम	0.00	13,35.07	**13,35.07**	0.00	18,51.67	**18,51.67**	0.00	14,85.59	**1485.59**
11	अन्य व्यय	6,62.20	3,93.91	**10,56.11**	7,40.11	5,30.51	**12,70.62**	7,99.67	3,78.48	**11,78.15**
12	छात्रवृति/ वृति	6,42.68	0.00	**6,42.68**	5,27.82	0.00	**5,27.82**	4,65.89	0.00	**4,65.89**
13	एक मुश्त	1,00.03	1,04.26	**2,04.29**	1,11.67	71.21	**1,82.88**	1,72.88	38.03	**2,10.91**
14	अनुरक्षण एवं मरम्मति	4,69.86	0.20	**4,70.06**	5,60.82	0.10	**5,60.92**	4,95.40	15.86	**5,11.26**
15	नकद राहत	6,38.78	30.55	**6,69.33**	15,71.69	17.81	**15,89.50**	16,44.11	29.87	**16,73.98**
16	लघु कार्य	3.07	0.00	**3.07**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
17	मानदेय	3,10.44	0.00	**3,10.44**	3,40.97	0.00	**3,40.97**	3,89.17	0.00	**3,89.17**
18	सबसिडी	18,58.71	0.00	**18,58.71**	14,39.76	0.00	**14,39.76**	20,92.03	0.00	**20,92.03**
19	कार्यालय व्यय	89.50	0.59	**90.09**	1,18.99	2.18	**1,21.17**	1,54.84	2.00	**1,56.84**
20	अंशदान	2,94.27	61.12	**3,55.39**	3,89.16	51.04	**4,40.20**	5,25.53	36.00	**5,61.53**
21	मजदूरी	2,32.18	0.00	**2,32.18**	2,69.67	0.00	**2,69.67**	2,61.70	0.00	**2,61.70**
22	यात्रा व्यय	1,55.91	0.09	**1,56.00**	1,63.92	0.11	**1,64.03**	1,61.79	0.18	**1,61.97**
23	व्यावसायिक सेवाएं	2,03.60	11.47	**2,15.07**	1,52.79	23.59	**1,76.38**	1,65.56	24.49	**1,90.05**
24	मशीन एवं उपस्कर	1,22.23	2.68	**1,24.91**	1,48.50	0.84	**1,49.34**	1,17.51	7.46	**1,24.97**
25	मेडिकल स्टोर आपूर्ति	24.13	0.00	**24.13**	26.80	0.00	**26.80**	27.56	0.00	**27.56**
26	मोटर गाड़ी	82.16	9.19	**91.35**	90.62	10.53	**1,01.15**	95.11	12.24	**1,07.35**

[1] वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष '2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति हितलाभ' के अंतर्गत बिहार को पेंशन प्रभार के रूप में क्रमशः ₹ 13.65 करोड़, ₹ 2,00 करोड़ एवं 5,57.13 करोड़ शामिल है।

4. व्यय का विवरण-क्रमांत
(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2016-17			2017-18			2018-19		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(करोड़ में)

ख. व्यय की प्रकृति - क्रमांत

	व्यय का उद्देश्य	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
27	संविदा भत्ता	1,03.60	0.15	**1,03.75**	1,77.07	0.14	**1,77.21**	1,99.42	0.04	**1,99.46**
28	बिजली व्यय	50.33	0.02	**50.35**	61.24	0.02	**61.26**	86.05	0.01	**86.06**
29	वर्दी	32.56	0.03	**32.59**	37.30	0.05	**37.35**	32.64	0.04	**32.68**
30	राशन की लागत	42.40	0.00	**42.40**	40.21	0.00	**40.21**	46.13	0.00	**46.13**
31	विज्ञापन एवं प्रचार	98.32	0.50	**98.82**	1,43.86	0.09	**1,43.95**	89.68	0.00	**89.68**
32	प्रशिक्षण भत्ता	7.51	1.74	**9.25**	10.05	1.78	**11.83**	3.96	.50	**4.46**
33	अन्य प्रशासनिक व्यय	28.95	0.43	**29.38**	12.74	1.26	**14.00**	18.57	1.55	**20.12**
34	सेमीनार, प्रदर्शनी एवं प्रचार	62.08	0.54	**62.62**	96.79	0.77	**97.56**	77.80	0.05	**77.85**
35	केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्य हिस्सा	55.75	0.00	**55.75**	3,20.70	0.00	**3,20.70**	5,38.54	1.77	**5,40.31**
36	सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ (आई.सी.टी.)	96.40	0.00	**96.40**	81.77	0.07	**81.84**	1,23.80	0.02	**123.82**
37	प्रशिक्षण व्यय	60.56	3.04	**63.60**	35.71	1.77	**37.48**	28.60	1.43	**30.03**
38	किराया, दरें एवं कर/ कर शुल्क का हिस्सा	26.31	0.45	**26.76**	43.74	0.26	**44.00**	30.63	0.51	**31.14**
39	नई मोटर गाड़ी का क्रय	21.80	23.84	**45.64**	8.99	1.60	**10.59**	6.65	0.52	**7.17**
40	अन्य (प्रत्येक वास्तु शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	28.16	1.23	**29.39**	34.29	7.53	**41.82**	33.82	54.17	**87.99**
	सकल व्यय	**4,51,59.17**	**1,42,73.63**	**5,94,32.80**	**5,10,61.23**	**1,67,53.88**	**6,78,15.11**	**5,06,72.68**	**1,52,57.40**	**6,59,30.08**
	घटाएं- वापसियां	**70.13**	**0.00**	**70.13**	**1,09.16**	**0.00**	**1,09.16**	**41.95**	**0.00**	**41.95**
	निवल व्यय	**4,50,89.04**	**1,42,73.63**	**5,93,62.67**	**5,09,52.07**	**1,67,53.88**	**6,77,05.95**	**5,06,30.73**	**1,52,57.40**	**6,58,88.13**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
				(₹ करोड़ में)		
क –	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	56.01	1,40.32	54.66	1,94.98	(-)2.41
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3,71.97	16,02.08	4,63.20	20,65.28	24.53
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,78.41	17,27.52	2,69.05	19,96.57	(-)28.90
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.72	83.88	4.13	88.01	4,73.61
	जोड़ – क –सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**8,07.11**	**35,53.80**	**7,91.04**	**43,44.84**	**(-)1.99**
ख –	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3,60.27	22,65.37	3,56.38	26,21.75	(-)1.08
	जोड़ (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	**3,60.27**	**22,65.37**	**3,56.38**	**26,21.75**	**(-)1.08**
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3,09.49	26,66.27	2,73.39	29,39.66	(-)11.66
	जोड़ (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	**3,09.49**	**26,66.27**	**2,73.39**	**29,39.66**	**(-)11.66**
(ग)	जल पूर्ति, सफाई, आवास, तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा					
4215-	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,32.26	35,75.95	4,00.12	39,76.07	20.42
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1,59.94	5,37.40	1,36.70	6,74.10	(-)14.53
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	40.00	13,48.95	30.00	13,78.95	(-)25.00
	जोड़ (ग)जल पूर्ति, सफाई, आवास, तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	**5,32.20**	**54,62.30**	**5,66.82**	**60,29.12**	**6.51**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
				(₹ करोड़ में)		
(घ)	**सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा**					
4220-	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	10.90	20.75	12.83	33.58	17.71
	जोड़ (घ) सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा	**10.90**	**20.75**	**12.83**	**33.58**	**17.71**
(ङ)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2,65.29	20,68.67	3,94.59	24,63.26	48.74
	जोड़ (ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा	**2,65.29**	**20,68.67**	**3,94.59**	**24,63.26**	**48.74**
(छ)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत परिव्यय लेखा					
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	16.53	5,95.31	0.00	5,95.31	(-)100.00
	जोड़ (छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत परिव्यय लेखा	**16.53**	**5,95.31**	**0.00**	**5,95.31**	**(-)100.00**
(ज)	अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
4250-	अन्य समाज कल्याण सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	33.39	1,08.66	11.44	1,20.10	(-)65.74
	जोड़ (ज) अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**33.39**	**1,08.66**	**11.44**	**1,20.10**	**(-)65.74**
	जोड़ (ख) सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**15,28.07**	**1,31,87.33**	**16,15.45**	**1,48,02.78**	**5.72**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण – क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
				(₹ करोड़ में)		
ग–	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
(क)	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा					
4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	36.55	97.18	0.00	97.18	(-)100.00
4402-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	2,99.16	7,97.00	2,60.41	10,57.41	(-)12.95
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	9.10	41.41	8.97	50.38	(-)1.43
4404-	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	11.05	53.06	0.00	53.06	(-)100.00
4405-	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	43.81	1,68.04	51.49	2,19.53	17.53
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00
4408-	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	26.54	1,09.88	3.86	1,13.74	(-)85.46
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	1,81.12	2,48.70	65.60	3,14.30	(-)63.78
	जोड़ (क) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	**6,07.33**	**15,44.57**	**3,90.33**	**19,34.90**	**(-)35.73**
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा					
4515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	20,92.79	1,51,61.80	24,60.88	1,76,22.68	17.59
	जोड़ (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	**20,92.79**	**1,51,61.80**	**24,60.88**	**1,76,22.68**	**17.59**
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा					
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,78.06	35,24.46	4,37.10	39,61.56	(-)24.39
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,42.69	33,90.73	7,09.17	40,99.90	10.34
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,59.09	21,02.90	3,11.96	24,14.86	(-)32.05
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.31	1,72.66	18.23	1,90.89	95.81
	जोड़ (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	**16,89.15**	**91,90.75**	**14,76.46**	**1,06,67.21**	**(-)12.59**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण – क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 के अंत तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
1	2	3	4	5	6	7
				(₹ करोड़ में)		
ग–	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – क्रमांत**					
(ङ)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2,03.23	0.00	2,03.23	0.00
	जोड़ (ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा	**0.00**	**2,03.23**	**0.00**	**2,03.23**	**0.00**
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4853-	अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00
4875-	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	9.50	9.50	6.50	16.00	(-)31.58
4885-	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	6.00	20.00	0.00	20.00	(-)100.00
	जोड़ (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	**15.50**	**36.88**	**6.50**	**43.38**	**(-)58.06**
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5053-	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	88.27	5,23.13	12.97	5,36.10	(-)85.31
5054-	सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	50,36.91	2,24,05.23	38,43.01	2,62,48.24	(-)23.70
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	11.58	81.84	9.56	91.40	(-)17.44
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	6,25.83	5.00	6,30.83	0.00
	जोड़ (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	**51,41.76**	**2,36,36.03**	**38,70.54**	**2,75,06.57**	**(-)24.72**
(ञ)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	71.00	4,24.52	99.37	5,23.89	39.96
5465-	सामान्य वित्तीय एवं ट्रेडिंग संस्थाओं में निवेश	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	45.78	1.14	46.92	100.00
	जोड़ (ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**71.00**	**4,72.30**	**1,00.51**	**5,72.81**	**41.56**
	जोड़ (ग) आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**96,17.53**	**5,02,45.56**	**83,05.22**	**5,85,50.78**	**(-)13.64**
	कुल जोड़	**1,19,52.71**	**6,69,86.69**	**1,07,11.71**	**7,76,98.40**	**(-)10.38**

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण-क्रमांत

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1 पूंजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा विवरण संख्या 16 में दिया गया है।

2 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों में सरकारी निवेश का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिया गया है।

3 उत्तरवर्ती बिहार राज्य तथा झारखण्ड राज्य के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के संयुक्त बिहार का पूंजीगत परिव्यय का बंटवारा नहीं हुआ है।

4 सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और संयुक्त बिहार के समितियों में सरकारी निवेश का बंटवारा उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है ।

5 2018-19 के दौरान सरकारी कम्पनियों, सहकारी बैंक समितियों एवं ग्रामीण बैंको में ₹ 41.00 करोड़ का सरकारी निवेश किया गया । वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के अंत तक विभिन्न इकाईयों के हिस्सा पूंजी में सरकार का कुल निवेश क्रमश: ₹ 3,20.83 करोड़, ₹ 3,76.87 करोड़ एवं ₹ 4,32.87 करोड़ था, कृपया विवरण संख्या 19 में दिए गए विस्तृत विवरण देखें ।

6 उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है ।

वर्ष	***(₹ करोड़ में)***
2016-17	0.00
2017-18	0.00
2018-19	0.00*

7 विभाग द्वारा संचालित सरकारी उपक्रमों के कार्यों के वित्तीय परिणामों एक सारांश जैसा कि नवीनतम उपलब्ध प्रोफार्मा लेखे द्वारा प्रकट हुआ :-

	उपक्रमों/ योजनाओं के नाम	मुख्य शीर्ष जिसके अन्तर्गत लेखाकरण किया गया	लेखे का वर्ष	पूंजी लगत	लाभ (+) / हानि(−)	पूंजी लगत पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत
				(रु. करोड़ में)		
	1	2	3	4	5	6
राज्य सरकार से कोई भी सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2019)।						

* ₹ 15 हजार सिर्फ।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण [1]

	उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियाँ	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (–)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				राशि	प्रतिशत	
क –	लोक ऋण							
6003-	**राज्य सरकार का आंतरिक ऋण**	**5,37,99.09**	**75,30.52**	**28,93.42**	**5,84,36.19**	**46,37.10**	**8.62**	**69.75**
	बाजार कर्ज	3,30,87.75	55,09.00	14,86.00	3,71,10.75	40,23.00	12.16	44.29
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम [2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बंध–पत्र	55,58.07	0.00	0.00	55,58.07	0.00	0.00	6.63
	वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	60,34.60	20,21.52	6,50.41	74,05.71	13,71.11	22.72	8.84
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	90,82.88	0.00	7,57.01	83,25.87	(-)7,57.01	(-)8.33	9.94
	अन्य कर्ज	35.79	0.00	0.00	35.79	0.00	0.00	0.04
6004-	**केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम**	**22,32.86**	**2,72.90**	**1,66.68**	**23,39.08**	**1,06.22**	**4.76**	**2.79**
	01 योजनेतर कर्ज	17.57	0.00	1.78	15.79	(-)1.78	(-)10.13	0.02
	02 राज्य/ संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	22,15.29	2,72.90	1,64.90	23,23.29	1,08.00	4.88	2.77
	जोड़ क – लोक ऋण	**5,60,31.95**	**78,03.42**	**30,60.10**	**6,07,75.27**	**47,43.32**	**8.47**	**72.54**

[1] विस्तृत विवरणी के लिए कृपया खण्ड – II में विवरण संख्या – 17 देखें ।

[2] राज्य सरकार द्वारा ₹ 88,22.55 करोड़ एवं ₹ 20,30.22 करोड़ ओवरड्राफ्ट एवं अर्थोपाय अग्रिम वर्ष 2018-19 में लिया गया था एवं इसी वित्तीय वर्ज़ के दौरान वापस कर दिया गया है । अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे शीर्ष 6003-110 के अंतर्गत जमा किया गया एवं पुनर्भुगतान करने के पश्चात् 'घटाये-जमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया ।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण – क्रमशः
(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण [1]

	उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान वापसियाँ	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (–)		कुल दायित्वों का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				राशि	प्रतिशत	
ख –	अन्य दायित्व							
	लोक लेखा							
	अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	11,42.18	11,20.04	10,51.11	12,11.11	68.93	6.03	1.45
	ब्याजदेय आरक्षित निधियाँ	15,51.05	4,21.00	41.95	19,30.10	3,79.05	24.44	2.30
	अब्याजदेय आरक्षित निधियाँ [3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ब्याज सहित जमा	13.53	4,25.65	4,26.54	12.64	(-)0.89	(-)6.58	0.02
	ब्याज रहित जमा	1,83,56.33	1,24,53.67	1,09,56.20	1,98,53.80	14,97.47	8.16	23.70
	कुल ख – अन्य दायित्व	**2,10,63.09**	**1,44,20.36**	**1,24,75.80**	**2,30,07.65**	**19,44.56**	**9.23**	**27.46**
	जोड़ लोक ऋण और अन्य दायित्व	**7,70,95.04**	**2,22,23.78**	**1,55,35.90**	**8,37,82.92**	**66,87.88**	**8.67**	**100.00**

[1] परिशोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन आदि के विस्तृत जानकारी के लिए इस विवरण के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियां पृष्ठ 27 में देखें।

[3] यह आँकड़ा इन शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों से की गई निवेश के समायोजन के बाद निवल दायित्वों को दर्शाती है।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमशः
व्याख्यात्मक टिप्पणियां विवरण 6

1. **परिशोधन की व्यवस्था :-**

(i) **खुला बाजार कर्जे:-** राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 तक 63 राज्य विकास/स्टॉक ऋण /स्टॉक लिया (31 मार्च 2019 को शेष ₹ 3,71,10.75 करोड़ था)।

(ii) अन्य बंध पत्रों एवं ऋणों के परिशोधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान गारंटी परिशोधन कोष के सृजन किये जाने से सम्बंधित कोई सूचना इस कार्यालय को नहीँ है।

2. **अल्प बचत निधि से कर्जे:-**डाकघरों में 'अल्प बचत योजनाओं' तथा 'लोक भविष्य निधि खाते' में संग्रहित राशि में से कर्जे राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में 3:1 के अनुपात में वितरित किये जायेंगे। वर्ष 1999-2000 में लघु वचत संग्रहण में से कर्जे जारी करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2018 -2019 के दौरान ₹ 7,57.01 करोड़ का पुर्नभुगतान किया गया था। वर्ष के अंत में ₹ 83,25.87 करोड़ की राशि का शेष बकाया था जो की राज्य सरकार के 31 मार्च 2019 को कुल लोक ऋण का 13.70 प्रतिशत था।

3. **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, बाजार कर्जे इत्यादि**

(क) **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम :-** भारत सरकार से कर्ज के रूप में ₹ 2,72.90 करोड़ प्राप्त किया तथा राज्य सरकार ने ₹ 1,66.00 करोड़ वापस किया। भारत सरकार से प्राप्त कर्ज पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,23.20 करोड़ का ब्याज भुगतान से संबंधित कोई बकाया नहीं है। विवरण संख्या 17 में बकाये ऋणों का विवरण दिया गया है।

(ख) **बाजार कर्जे :-** ये राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण (जो 12 महीने से अधिक चलने वाले) हैं। वर्ष के दौरान 8 (आठ) झारखण्ड विकास ऋण उगाहे गए जो निम्न है :-

क्रम सं.	कर्ज की राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर	विमोचन का माह एवं वर्ष	
			माह	वर्ष
1	5,00.00	8.51	अगस्त	2028
2	5,00.00	8.84	सितम्बर	2028
3	5,00.00	8.40	दिसम्बर	2028
4	5,00.00	8.35	दिसम्बर	2028
5	10,00.00	8.36	फरवरी	2029
6	10,00.00	8.31	फरवरी	2029
7	5,00.00	8.44	फरवरी	2029
8	10,09.00	8.43	मार्च	2029

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमांत
व्याख्यात्मक टिप्पणियां विवरण 6

4 **ऋण शोधन:**

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज:-

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान बकाया ऋण और अन्य दायित्व तथा ब्याज प्रभार, जिसे राजस्व से पूरा किया गया, कुल निवल राशि नीचे दिखाये गए हैं:-

	लेन-देन की प्रकृति	2018-19	2017-18	निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (–)
		(₹ करोड़ में)		
(i)	**वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व**			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि	6,19,86.38	5,71,74.12	48,12.26
(ख)	अन्य दायित्व	2,17,96.54	1,99,20.92	18,75.62
	जोड़ (i)	**8,37,82.92**	**7,70,95.04**	**66,87.88**
(ii)	**सरकार द्वारा भुगतान किये गया ब्याज : -**			
(क)	लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि पर	48,42.05	46,59.91	1,82.14
(ख)	अन्य दायित्व	9.92	1.77	8.15
	जोड़ (ii)	**48,51.97**	**46,61.68**	**1,90.29**
(iii)	**घटाए :-**			
(क)	सरकार द्वारा दिए गए कर्जो और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज	15.77	90.32	(-)74.55
(ख)	रोकड़ शेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज	31.43	78.56	(-)47.13
	जोड़ (iii)	**47.20**	**1,68.88**	**(-)1,21.68**
(iv)	**ब्याज प्रभारों की निवल राशि**	**48,04.77**	**44,92.80**	**3,11.97**
(v)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में सकल ब्याज (मद (ii) की प्रतिशतता**	**8.64**	**8.84**	**(-)0.20**
(vi)	**कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में निवल ब्याज (मद (iv) की प्रतिशतता**	**8.57**	**8.52**	**0.05**

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण

खण्ड 1 कर्जे एवं पेशगियों का सारांश : ऋणी समूहवार

प्रक्षेत्र/ऋणी समूह [1]	01 अप्रैल 2018 को बकाया राशि [2]	वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते की गई राशि	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि/ह्रास	वर्ज़ के दौरान ब्याज अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8
			(₹ करोड़ में)				
सामजिक सेवाएं :-							
(i) पंचायती राज संस्थाएँ	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
(ii) नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	1,53.81	0.00	0.00	0.00	1,53.81	0.00	0.00
(iii) शहरी विकास प्राधिकरण	4,77.74	23.24	0.00	0.00	5,00.98	23.24	0.00
(iv) आवास बोर्ड	73.87	0.00	0.00	0.00	73.87	0.00	0.00
(v) अन्य	(-)0.49	0.00	0.00	0.00	(-)0.49 [3]	0.00	0.00
जोड़- सामजिक सेवाएं	**7,05.68**	**23.24**	**0.00**	**0.00**	**7,28.92**	**23.24**	**0.00**
आर्थिक सेवाएँ							
(i) पंचायती राज संस्थाएं	16.78	2.39	0.05	0.00	19.12	2.34	0.00
(ii) नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00
(iii) सांविधिक निगमें	1,83,59.00	14,13.09	0.00	0.00	1,97,72.09	14,13.09	0.00
(iv) सरकारी कम्पनियाँ	1,15.58	0.00	0.00	0.00	1,15.58	0.00	0.00
(v) सहकारी समितियाँ/सहकारी निगमें/बैंक [$]	64.58	0.00	0.45	0.00	64.13	(-)0.45	0.00
(vi) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ - आर्थिक सेवाएं	**1,85,61.89**	**14,15.48**	**0.50**	**0.00**	**1,99,76.87**	**14,14.98**	**0.00**
विविध प्रयोजन हेतु ऋण							
(i) सरकारी सेवकों	25.17	46.87	47.07	0.00	24.97	(-)0.20	0.00
(ii) विविध प्रयोजन हेतु ऋण	(-)0.77	0.00	0.00	0.00	(-)0.77 [4]	0.00	0.00
जोड़ - विविध प्रयोजन हेतु ऋण	**24.40**	**46.87**	**47.07**	**0.00**	**24.20**	**(-)0.20**	**0.00**
जोड़ - कर्जे एवं पेशगियाँ	**1,92,91.97**	**14,85.59**	**47.57**	**0.00**	**2,07,29.99**	**14,38.02**	**0.00**

[1] कृपया विस्तृत विवरण हेतु खण्ड II के विवरण संख्या 18 देखें ।

[2] उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है (अगस्त 2019)।

[3,4] उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अत: ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हाँ जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई है (अगस्त 2019)।

[$] पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि हुई है। विवरण संख्या 18 के अनुसार अथ शेष को पुनरिक्षित कर लिया गया है।

विवरण संख्या 7–सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण–क्रमशः

निम्नलिखित मामलों मे राज्य सरकार द्वारा ऋण मे स्थायित्व के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया

क्रम संख्या	ऋण स्वत्व	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं हैं					

खण्ड 2 ऋणों एवं पेशगियों का सारांश : समूहवार खण्ड

खण्ड	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अप्राप्य ऋण एवं पेशगियों का अपलेखन	31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष के दौरान निबल वृद्धि/ ह्रास	बकाया ब्याज का भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
			(₹ करोड़ में)				
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	7,05.68	23.23	0.00	0.00	7,28.91	23.23	0.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण $	1,85,61.89	14,15.48	0.50	0.00	1,99,76.87	14,14.98	0.00
सरकारी सेवाओं के लिए ऋण	24.40	46.88	47.07	0.00	24.21	(-)0.19	0.00
जोड़	**1,92,91.97**	**14,85.59**	**47.57**	**0.00**	**2,07,29.99**	**14,38.02**	**0.00**

$ पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2019 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
(i) सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण :-					
जल पूर्ति एवं सफाई -					
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.60	3.77	**4.37**	2007-08	6.42
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.17	2.43	**2.60**	2007-08	2.88
बोकारो नगरपालिका	0.63	5.94	**6.57**	2007-08	6.64
बुंडू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.28	3.01	**3.29**	2007-08	3.76
चाईबासा नगरपालिका	0.32	3.07	**3.39**	2007-08	5.08
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.31	4.20	**4.51**	2007-08	5.08
छातातांड अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.07	**0.11**	2007-08	1.92
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.23	2.66	**2.89**	2007-08	3.44
चास नगरपालिका	1.31	3.40	**4.71**	2007-08	12.84
चतरा नगरपालिका	1.37	2.47	**3.84**	2007-08	13.56
छतरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.24	2.41	**2.65**	2007-08	3.52
चिरकुंडा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.77	2.44	**3.21**	2007-08	7.76
डाल्टेनगंज नगरपालिका	1.62	6.41	**8.03**	2007-08	15.04
देवघर नगरपालिका	0.93	5.76	**6.69**	2007-08	8.72
धानबाद नगरपालिका	1.27	7.38	**8.65**	2007-08	9.36
दुमका नगरपालिका	1.06	6.95	**8.01**	2007-08	9.84
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.70	3.29	**3.99**	2007-08	7.12
गढ़वा नगरपालिका	0.39	4.39	**4.78**	2007-08	4.72
गिरिडीह नगरपालिका	0.81	5.25	**6.06**	2007-08	6.40

(@)इस खण्ड में वैसे ऋणी स्वत्व का ब्योरा शामिल नहीं है जिनका मूलधन एवं ब्याज की अदायगियाँ देय नहीं है।

विवरण संख्या 7–सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण–क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2019 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
गोड्डा नगरपालिका	0.38	4.41	**4.79**	2007-08	4.64
गुमला नगरपालिका	0.43	6.33	**6.76**	2007-08	5.04
हजारीबाग नगरपालिका	0.65	8.13	**8.78**	2007-08	7.80
हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.39	4.14	**4.53**	2007-08	4.72
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.48	7.43	**7.91**	2007-08	5.44
जामताड़ा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.34	2.91	**3.25**	2007-08	4.24
जसीडीह अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.39	2.87	**3.26**	2007-08	4.64
झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.38	4.36	**4.74**	2007-08	4.64
झुमरीतिलैया नगरपालिका	0.32	4.15	**4.47**	2007-08	4.18
जुगसलाई नगरपालिका	0.36	4.53	**4.89**	2007-08	4.48
कतरास अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.37	4.25	**4.62**	2007-08	4.56
खरसावाँ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	3.94	**4.15**	2007-08	3.28
खूंटी अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.47	4.03	**4.50**	2007-08	5.28
कोडरमा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.54	3.93	**4.47**	2007-08	5.84
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.55	3.69	**4.24**	2007-08	6.00
लोहरदगा नगरपालिका	0.61	5.18	**5.79**	2007-08	6.40
मधुपुर नगरपालिका	0.30	4.03	**4.33**	2007-08	4.00
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.89	5.41	**6.30**	2007-08	8.64
मेदनीनगर नगरपालिका	0.45	3.64	**4.09**	2007-08	5.12
मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.75	4.21	**4.96**	2007-08	6.53
पाकुड़ नगरपालिका	0.46	4.16	**4.62**	2007-08	5.20
क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रधिकरण, रांची	0.08	4.28	**4.36**	2007-08	2.24

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2019 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	3.47	**3.74**	2007-08	3.76
रांची नगरपालिका	3.45	17.15	**20.60**	2007-08	28.40
साहेबगंज नगरपालिका	0.28	5.35	**5.63**	2007-08	3.84
सरायकेला नगरपालिका	0.24	3.78	**4.02**	2007-08	3.82
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	3.28	**3.55**	2007-08	3.68
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.23	3.95	**4.18**	2007-08	3.44
जोड़- जल पूर्ति एवं सफाई	**27.59**	**2,12.29**	**2,39.88**		**2,93.95**
आवास					
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड	1.23	3.25	**4.48**	2014-15	73.87
जोड़ - आवास	**1.23**	**3.25**	**4.48**		**73.87**
शहरी विकास					
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.52	2.05	**2.57**	2007-08	11.74
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.37	1.25	**1.62**	2007-08	8.55
बासुकीनाथ नगर पंचायत	0.00	0.01	**0.00**	2007-08	0.11
बुंडू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	0.19	**0.46**	2007-08	6.75
चाईबासा नगरपालिका	0.32	0.75	**1.07**	2007-08	7.05
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.41	1.03	**1.44**	2007-08	7.49
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.22	0.82	**1.04**	2007-08	5.50
चास नगरपालिका	0.25	0.84	**1.09**	2007-08	5.89
छतरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	**0.23**	2007-08	3.72
चतरा नगरपालिका	0.15	1.05	**1.20**	2007-08	4.16
चिरकुंडा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.77	**0.80**	2007-08	1.75

विवरण संख्या 7–सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण–क्रमशः

खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2019 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
डाल्टेनगंज नगरपालिका	1.62	1.12	**2.74**	2007-08	40.50
देवघर नगरपालिका	0.55	1.19	**1.74**	2007-08	17.72
धनबाद नगरपालिका	2.91	10.98	**13.89**	2007-08	71.10
दुमका नगरपालिका	0.39	1.11	**1.50**	2007-08	9.48
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	**0.23**	2007-08	1.12
फुसरो नगर परिषद	0.14	0.00	**0.00**	2007-08	1.83
गढ़वा नगरपालिका	0.86	0.68	**1.54**	2007-08	2.57
गिरिडीह नगरपालिका	0.12	1.81	**1.93**	2007-08	10.02
गोड्डा नगरपालिका	0.09	0.55	**0.64**	2007-08	2.21
गुमला नगरपालिका	0.11	0.49	**0.60**	2007-08	3.98
हजारीबाग नगरपालिका	0.62	1.27	**1.89**	2007-08	14.01
हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.63	**0.70**	2007-08	1.79
हुसैनाबाद नगर पंचायत	0.00	0.05	**0.00**	2007-08	0.25
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.52	0.78	**1.30**	2007-08	12.09
जामताड़ा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.27	**0.33**	2007-08	1.56
जसीडीह अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.14	**0.17**	2007-08	0.75
झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	0.68	**0.89**	2007-08	5.25
झुमरीतिलैया नगरपालिका	0.18	0.77	**0.95**	2007-08	4.55
जुगसलाई नगरपालिका	0.28	0.88	**1.16**	2007-08	6.45
कतरास अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.16	**0.19**	2007-08	0.82
खरसावाँ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.35	**0.42**	2007-08	1.75

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2019 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
खूंटी अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.47	**0.53**	2007-08	1.72
कोडरमा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.56	**0.62**	2007-08	1.96
कोडरमा नगर पंचायत	0.00	0.00	**0.00**	2007-08	0.41
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	1.03	**1.10**	2007-08	1.93
लोहरदगा नगरपालिका	0.37	1.16	**1.53**	2007-08	7.37
मधुपुर नगरपालिका	0.25	1.35	**1.60**	2007-08	3.98
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	1.09	**1.30**	2007-08	2.44
मेदनीनगर नगरपालिका	0.21	0.58	**0.79**	2007-08	5.72
मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.29	**0.36**	2007-08	2.13
मिहिजाम नगर परिषद	0.00	0.00	**0.00**	2007-08	1.07
पाकुर नगरपालिका	0.19	1.15	**1.34**	2007-08	4.21
क्षेत्रिय ग्रामीण विकास प्राधिकरण, राँची	0.01	0.25	**0.26**	2007-08	4.11
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.05	0.22	**0.27**	2007-08	1.05
राजमहल नगर पंचायत	0.00	0.01	**0.00**	2007-08	0.77
रामगढ नगर परिषद	0.00	0.00	**0.00**	2007-08	1.09
राँची नगरपालिका	1.71	8.20	**9.91**	2007-08	40.37
साहेबगंज नगरपालिका	0.22	1.11	**1.33**	2007-08	3.36
सरायकेला नगरपालिका	0.09	0.59	**0.68**	2007-08	0.42
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.12	0.69	**0.81**	2007-08	3.76
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.05	0.97	**1.02**	2007-08	0.68
जोड़- शहरी विकास	**15.22**	**52.77**	**67.78**		**3,61.05**

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2019 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
सहकारिता-					
निबंधक सहकारी समितियाँ	7.54	7.37	**14.91**	2007-08	64.12
जोड़- सहकारिता	**7.54**	**7.37**	**14.91**		**64.12**
(ii) **आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण :-**					
ग्रामीण विकास-					
बोकारो जिला परिषद	0.48	1.32	**1.80**	2007-08	3.17
चतरा जिला परिषद	0.13	1.33	**1.46**	2007-08	0.39
देवघर जिला परिषद	0.12	1.36	**1.48**	2007-08	0.84
धनबाद जिला परिषद	0.42	0.93	**1.35**	2007-08	3.50
दुमका जिला परिषद	0.50	1.06	**1.56**	2007-08	3.05
गढ़वा जिला परिषद	0.19	0.71	**0.90**	2007-08	1.17
गिरिडीह जिला परिषद	0.42	1.12	**1.54**	2007-08	1.85
गोड्डा जिला परिषद	0.07	1.09	**1.16**	2007-08	0.37
गुमला जिला परिषद	0.09	0.75	**0.84**	2007-08	0.47
चाईबासा जिला परिषद	0.22	0.74	**0.96**	2011-12	4.86
हजारीबाग जिला परिषद	0.26	0.94	**1.20**	2011-12	0.95
जमशेदपुर जिला परिषद	0.34	1.48	**1.82**	2011-12	0.80
जामताड़ा जिला परिषद	0.02	0.02	**0.04**	2008-09	0.42
कोडरमा जिला परिषद	0.02	1.37	**1.39**	2012-13	0.09
लातेहार जिला परिषद	0.29	0.72	**1.01**	2012-13	0.90
लोहरदगा जिला परिषद	0.21	0.70	**0.91**	2012-13	0.35

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमांत
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी-क्रमांत

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2019 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
पाकुड़ जिला परिषद	0.15	0.14	**0.29**	2012-13	1.11
पलामू जिला परिषद	0.40	1.22	**1.62**	2012-13	1.18
राँची जिला परिषद	0.56	1.12	**1.68**	2012-13	1.89
साहेबगंज जिला परिषद	0.17	1.43	**1.60**	2012-13	0.49
जोड़- ग्रामीण विकास	**5.04**	**19.56**	**24.60**		**27.85**
खनिज एवं उद्योग					
झारखण्ड राज्य बिहार स्पंज लौह लिमिटेड	5.42	5.17	**10.59**	2012-13	27.64
जोड़ - खनिज एवं उद्योग	**5.42**	**5.17**	**10.59**		**27.64**
ऊर्जा					
झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड	3,11.17	5,23.53	**8,34.70**	2012-13	72,22.19
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	1,44.46	1,03.00	**2,47.46**	2016-17	88,57.23
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	8,84.29	1,74.45	**10,58.74**	2016-17	36,47.07
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	6.00	1.84	**7.84**	2016-17	50.00
तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड	55.69	72.40	**1,28.09**	2012-13	60.80
पतरातु थर्मल पावर	15.56	60.50	**76.06**	2012-13	20.00
जोड़- ऊर्जा	**14,17.17**	**9,35.72**	**23,52.89**		**1,98,57.29**
(iii) सरकारी कर्मचारियों को ऋण					
राज्य सरकार के कर्मचारी	0.00	0.00	**0.00**		24.22
जोड़ - सरकारी कर्मचारियों को ऋण	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24.22** [5]
कुल जोड़	**14,79.22**	**12,36.13**	**27,15.13**		**2,07,29.99**

[5] उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है (अगस्त 2019)।

8. सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए विभिन्न संस्थाओं का हिस्सा पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सार

संस्थाओं का नाम	2017-18			2018-19		
	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि
1	2	3	4	5	6	7
			(₹ करोड़ में)			
1. सांविधिक निगमें	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2. ग्रामीण बैंक [1]	1	45.73	0.00	1	45.73	0.00
3. सरकारी कम्पनियाँ [1, 2, 4]	15	1,70.80	0.00	17	2,26.80	0.00
4. अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँ	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5. सहकारी संस्थाएँ एवं स्थानीय निकायें [1, 3]	21	1,60.34	0.00	21	1,60.34	0.00
जोड़	**37**	**3,76.87**	**0.00**	**39**	**4,32.87**	**0.00**

[1] संस्थावार तथा मुख्य शीर्षवार निवेश की विस्तृत विवरण हेतु कृपया विवरण संख्या 19 देखें।

[2] व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) में ₹ 48.35 करोड़ शामिल है।

[3] व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) में ₹ 61.17 करोड़ शामिल है।

[4] झारखण्ड सरकार के पत्र सं. 15 दिनांक 07.05.2018 के द्वारा ₹ 45.00 करोड़ जुटकोल (2016-17 में 15 करोड़, 2017-18 में 20 करोड़ एवं 2018-19 में 10 करोड़) में निवेश की पुष्टि की गई है, जो पूर्व में नहीं दिखाया गया था।

9. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण

(i) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2019 को विभिन्न खण्डों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

खण्ड (गारंटियों की सं० कोष्ठक में)	अधिकतम गारंटीड राशि	वर्ष 2018-19 के आरंभ में बकाया	वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2018-19 के दौरान विलोपित (याचित से भिन्न)	वर्ष 2018-19 के दौरान याचित		वर्ष 2018-19 के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		अन्य वस्तुपरक विवरण
					भुगतान किया गया	भुगतान नहीं किया गया		प्राप्त किये जाने योग्य	प्राप्त किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ करोड़ में)										
आर्थिक क्षेत्र (उर्जा)	6,07.15	**1,57.15**	4,50.00	0.00	0.00	0.00	**6,07.15**	0.00	0.00	0.00
1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14)	1,57.15	**1,57.15**	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,57.15**	0.00	0.00	0.00
2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	4,50.00	**0.00**	4,50.00	0.00	0.00	0.00	**4,50.00**	0.00	0.00	0.00

(ii) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2019 को विभिन्न वर्गों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ग एवं खण्ड	राज्य गारंटी का साख पत्र की संख्या	सुविधाजन्य पत्रों द्वारा जारी कुल राशि	याचनाओं का विवरण, यदि कोई हो	अन्य वस्तुपरक विवरण
1	2	3	4	5
(₹ करोड़ में)				
1. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (विघटित 2013-14)	डब्ल्यू. एण्ड एम. (13) 18/- 2012-64/ बजट दिनांक 07.02.2013	1,57-15	झारखण्ड सरकार द्वारा डी.भी.सी. से क्रय की जा रही विद्युत के विरुद्ध मासिक विपत्र के भुगतान हेतु, अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने के लिए झारखण्ड विद्युत बोर्ड को गारंटी प्रदान की गई ।	इसके अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने हेतु प्रपत्र पर ऊर्जा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राज्य गारंटर के रूप में हस्ताक्षर की जाएगी ।
2. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार अधिसूचना सं. ई.8/ऊ.वि. बोर्ड-02/17 -3072 दिनांक 20.12.2018	4,50-00	रियायती दर पर उधार लिए गए अल्पावधि ऋण के विरुद्ध झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को वर्तमान देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए राज्य गारंटी दी गई है।	राज्य गारंटी उस शर्त के साथ दिया गया है कि कर्ज का पुनर्भुगतान पूरी तरह से झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में निहित होगा।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण

(i) रोकड़ में भुगतान किए गए सहायक अनुदान

(₹ करोड़ में)

	अनुदानित संस्थाएं	कुल निर्गत अनुदान				पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण हेतु अनुदान	
		2018-19			2017-18	2018-19	2017-18
		राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश/ केन्द्र प्रायोजित योजना सहित)	कुल			
1	**पंचायती राज संस्थाएं**						
(i)	जिला परिषद्	9,94.71	19,42.98	**29,37.69**	**12,70.13**	**23,16.28**	**9,60.57**
(ii)	पंचायत समितियां	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(iii)	ग्राम पंचायत	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**शहरी स्थानीय निकाय**						
(i)	नगर निगम	22.44	1,06.14	**1,28.58**	**2.67**	**0.00**	**0.00**
(ii)	नगर पालिका / नगर परिषद्	12,03.01	1,65.75	**13,68.76**	**11,52.44**	**0.00**	**0.00**
(iii)	अन्य	2,51.16	0.00	**2,51.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**						
(i)	सरकारी कम्पनियाँ	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(ii)	सांविधिक निगम	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**स्वायतशासी निकाय**						
(i)	विश्वविद्यालय	5,81.28	39.80	**6,21.08**	**6,71.67**	**1,74.54**	**2,17.53**
(ii)	विकास प्राधिकार	26,39.36	13,12.94	**39,52.30**	**74,47.41**	**12,67.51**	**16,00.29**
(iii)	सहकारी संस्थाएं	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(iv)	अन्य	32,21.74	10,58.13	**42,79.87**	**33,11.97**	**11,93.91**	**9,91.67**
5	**गैर-सरकारी संगठन**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	**अन्य**	**25,04.85**	**19,31.52**	**44,36.37**	**68,57.70**	**34,94.58**	**26,71.67**
	जोड़	**1,14,18.55**	**65,57.26**	**1,79,75.81**	**2,07,13.99**	**84,46.82**	**64,41.73**

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण-क्रमांत

(ii) सामग्रियों में भुगतान किए गए सहायक अनुदान

	अनुदानित संस्थाएं	कुल निर्गत अनुदान				पूंजी परिसम्पतियों के निर्माण हेतु अनुदान	
		2018-19			2017-18	2018-19	2017-18
		राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रांश/ केन्द्र प्रायोजित योजना सहित)	कुल			
			(₹ करोड़ में)				
1	**पंचायती राज संस्थाएं**						
(i)	जिला परिषद्						
(ii)	पंचायत समितियां						
(iii)	ग्राम पंचायत						
2	**शहरी स्थानीय निकाय**						
(i)	नगर निगम						
(ii)	नगर पालिका / नगर परिषद्						
(iii)	अन्य						
3	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**			राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।			
(i)	सरकारी कम्पनियाँ						
(ii)	सांविधिक निगम						
4	**स्वायतशासी निकाय**						
(i)	विश्वविद्यालय						
(ii)	विकास प्राधिकार						
(iii)	सहकारी संस्थाएं						
(iv)	**अन्य**						
5	**गैर-सरकारी संगठन**						
6	**अन्य**						
	जोड़						

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

	ब्यौरे	2018-19			2017-18		
		प्रभारित	दत्त्मत	कुल जोड़	प्रभारित	दत्त्मत	कुल जोड़
				(₹ करोड़ में)			
	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*49,61.94*	4,56,68.79	**5,06,30.73**	*47,59.95*	4,61,92.12	**5,09,52.07**
	व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	*0.00*	1,07,11.71	**1,07,11.71**	*0.00*	1,19,52.70	**1,19,52.70**
	लोक ऋण, कर्ज तथा उधार, अन्तर्राज्यीय परिशोधन और आकस्मिकता निधि को स्थान्तरण [1]	*30,60.10*	14,85.59	**45,45.69**	*29,49.50*	18,51.67	**48,01.17**
	जोड़	***80,22.04***	**5,78,66.09**	**6,58,88.13**	***77,09.45***	**5,99,96.49**	**6,77,05.94**
ड	**लोक ऋण**						
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	*28,93.42*	0.00	**28,93.42**	*27,88.46*	0.00	**27,88.46**
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	*1,66.68*	0.00	**1,66.68**	*1,61.04*	0.00	**1,61.04**
च	**कर्ज एवं पेशगियाँ** [2]						
	सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
	सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	23.23	**23.23**	*0.00*	31.70	**31.70**
	आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	*0.00*	14,15.48	**14,15.48**	*0.00*	17,64.38	**17,64.38**
	सरकारी सेवकों आदि को कर्ज	*0.00*	46.88	**46.88**	*0.00*	55.59	**55.59**
	विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
छ	**अन्तर्राज्यीय परिशोधन**						
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**
ज	**आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण**						
	आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण	*0.00*	0.00	**0.00**	*0.00*	0.00	**0.00**

[1] विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या 18 एवं 21 में दिए गए हैं ।

[2] विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं ।

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण-क्रमांत

(i) वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष प्रभारित व्यय और दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत थी।

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2017-18	*11.39*	88.61
2018-19	*12.18*	87.82

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
		(₹ करोड़ में)	
पूंजी तथा अन्य व्यय			
पूंजीगत व्यय (उप-खण्ड-वार)-			
(i) सामान्य सेवाएं -			
अन्य राजकोषीय सेवाएं	1,40.32	54.66	1,94.98
पुलिस	16,02.07	4,63.20	20,65.27
लोक निर्माण कार्य	17,27.53	2,69.05	19,96.58
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	83.88	4.13	88.01
(ii) सामाजिक सेवाएं-			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	22,65.36	3,56.38	26,21.74
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	26,66.27	2,73.39	29,39.66
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	54,62.29	5,66.82	60,29.11
सूचना तथा प्रचार	20.75	12.83	33.58
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	20,68.68	3,94.59	24,63.27
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,95.31	0.00	5,95.31
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,08.66	11.44	1,20.10
(iii) आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	15,44.58	3,90.33	19,34.91
ग्राम विकास	1,51,61.79	24,60.88	1,76,22.67
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	91,90.74	14,76.46	1,06,67.20
ऊर्जा	2,03.23	0.00	2,03.23
उद्योग तथा खनिज	36.88	6.50	43.38
परिवहन	2,36,36.03	38,70.54	2,75,06.57
सामान्य आर्थिक सेवाएं	4,72.32	1,00.51	5,72.83
जोड़ - पूंजीगत व्यय	**6,69,86.69**	**1,07,11.71**	**7,76,98.40**
पूंजीगत प्राप्ति	**25.09**	**0.00**	**25.09**
निवल पूंजीगत व्यय	**6,69,61.60**	**1,07,11.71**	**7,76,73.31**

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण-क्रमशः

		1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
			(₹ करोड़ में)	
कर्ज तथा उधार -				
विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार : -				
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		7,06.16	23.23	7,29.39
सामाजिक कल्याण तथा पोषण		(-)0.49	0.00	(-)0.49 [1]
कृषि तथा संबद्ध कार्यकालाप		64.54	(-)0.44	64.10
ग्राम विकास		25.51	2.34	27.85
ऊर्जा		1,84,44.20	14,13.09	1,98,57.29
उद्योग तथा खनिज		27.65	(-)0.01	27.64
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज		24.41	(-)0.19	24.22
	जोड़- कर्ज तथा उधार	**1,92,91.98**	**14,38.02**	**2,07,30.00**
	जोड़- पूंजी तथा अन्य व्यय	**8,62,53.58**	**1,21,49.73**	**9,84,03.31** (ट)
अन्तर्राज्यीय परिशोधन		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	निवल-पूंजी तथा अन्य व्यय	**8,62,53.58**	**1,21,49.73**	**9,84,03.31**
निधियों के प्रमुख स्रोत				
ऋण				
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण		5,37,99.09	46,37.10	5,84,36.19
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		22,32.86	1,06.22	23,39.08
लघु बचत, भविष्य निधि आदि		11,42.18	68.93	12,11.11
	जोड़-ऋण	**5,71,74.13**	**48,12.25**	**6,19,86.38**

1 उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार एवं झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार के शेषों का बँटवारा नहीं होने के कर्ण ऋणात्मक शेष है (अगस्त 2019)।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण-क्रमशः

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
		(₹ करोड़ में)	
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण	5,00.00	0.00	5,00.00
आरक्षित निधि	15,51.04	3,79.05	19,30.09
जमा तथा अग्रिम	1,83,64.09	14,96.08	1,98,60.17
उचंत तथा विविध (सरकारी लेखे एवं रोकड़ शेष निवेश लेखे में बंद राशि को छोड़कर)	(-)1,70.17	1,25.56	(-)44.61
प्रेषण	39.67	59.60	99.27
जोड़-अन्य दायित्व	**2,02,84.63**	**20,60.29**	**2,23,44.92**
जोड़-ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ	**7,74,58.76**	**68,72.54**	**8,43,31.30**
घटाएं- रोकड़ शेष	(-)2,42.16	4,30.46	1,88.30 [2]
घटाएं- निवेश	3,54.56	(-)1,86.66	1,67.90
	4,00.00	0.00	4,00.00
निधियों का निवल प्रावधान	7,69,46.37	66,28.75	8,35,75.12 [ट]
वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)		55,20.97	
2018-19 के लिए निधियों का निवल प्रावधान		**1,21,49.72**	

[2] कृपया खण्ड-II में विवरण संख्या 21 का पृष्ठ संख्या 482 में पाद टिप्पणी देखें।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण-क्रमांत

(ट) और (ठ) 31-03-2019 को निवल पूंजी एवं अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹ 89,07.21 करोड़ का अन्तर था, जिसकी व्याख्या नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)

(1)	31-03-2018 को सँचित राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	1,62,26.54
(2)	राजस्व अधिशेष (2018-19)	55,20.97
(3)	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-)5,00.00
(4)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए लोक ऋण	(-)59,61.94
(5)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए रोकड़ शेष	(-)28.72
(6)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2008-09	(-)1,45.87
(7)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2010-11	1.40
(8)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए अन्तर्राज्यीय परिशोधन शेष 2011-12	(-)75.41
(9)	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में के.प्रा.यो. तथा के.यो.यो. के कर्ज को अपलेखित किया गया	20.61
(10)	2012-13 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)1,00.00
(11)	2013-14 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)50.00
(12)	बकाया कोषागार उचंत के शेषों को समाप्त कर दिया गया	(-)9.49
(13)	स्वर्णरेखा परियोजना पर उड़ीसा शेयर का समायोजन तथा लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रेषण के बीच गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप शीर्ष 8782-102 लोक निर्माण कार्य प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेषों को ड्राप किया गया ।	(-)4,69.91
(14)	राज्य आपदा मोचन निधि से निवेश	4,00.00
	जोड़	**1,48,28.18**

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

अ. 31 मार्च 2019 को शेष की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है :-

नामे शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
6,28,45.13	क से घ, छ, ज, और ठ का भाग	सरकारी लेखा[1]	
	ङ	लोक- ऋण	6,07,75.26
2,07,29.99	च	कर्ज तथा उधार	
		आकस्मिकता निधि	5,00.00
		लोक - लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	
		(ख) राज्य भविष्य निधियां	23,49.88
		(ग) अन्य लेखे	(-)11,38.77
	ञ	आरक्षित निधि	
		(क) आरक्षित निधि, ब्याज वाली जमा	19,30.09
		(ख) आरक्षित निधि, बिना ब्याज वाली जमा	0.00
		सकल शेष	
4,00.00		निवेश	

[1] ''सरकारी लेखा'' के अन्तर्गत यह आंकड़ा कैसे निकला गया इसे समझने के लिए पृष्ठ संख्या 50 पर कृपया ''ब'' देखें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमशः

नामे शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*
	ट	जमा तथा अग्रिम–	
		(क) - ब्याज वाली जमा	12.64
		(ख) बिना ब्याज वाली जमा	1,98,53.83
6.28		(ग) अग्रिम	
	ठ	उचंत तथा विविध–	
1,67.90		निवेश	
		अन्य मदें (निवल)	(-),44.60
	ड	प्रेषण	99.27
1,88.30	ढ	रोकड़ शेष (अन्त) [2]	
8,43,37.60		**जोड़**	**8,43,37.60**

[2] रोकड़ शेष में सम्मिलित ''रिजर्व बैंक के पास जमा'' के संबंध में खाते में दिखाए गए आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़े में अंतर है। भिन्नता समाधान के अन्तर्गत है। विस्तृत विवरण के लिए खण्ड- II के विवरण संख्या 21 का ढ - रोकड़ शेष के अन्तर्गत पाद टिप्पणी 5 का अवलोकन करें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमांत

ब. सरकारी लेखा - सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित राशियाँ तथा अन्य लेन-देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं जिसे सरकारी लेखा कहा जाता है। इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन-देनों के संचयी परिणाम के घोतक होता है।

इस शेष के साथ लोक- ऋण, कर्ज और पेशगियाँ, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धान को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को झारखण्ड सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पतियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी सँचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लिया जाता है।

वर्ष के अंत में सरकारी लेखा में निवल नामे रकम इस प्रकार निकाली गई है :-

नामे		ब्योरे	जमा
			(₹ करोड़ में)
5,76,54.39 [1]	क-	01 अप्रैल 2018 को सरकारी लेखे में डेबिट की राशि	
	ख-	(i) प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	5,61,51.70
		(ii) प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	0.00
5,06,30.73	ग-	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
1,07,11.71	घ-	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
0.00	च-	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	
0.00	ज-	आकस्मिकता निधि में अंतरण	
	छ-	31 मार्च 2019 को सरकारी लेखे में डेबिट की राशि	6,28,45.13
11,89,96.83	**जोड़**		**11,89,96.83**

[1] एस.डी.आर.एफ. से वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश करने के कारण ₹ 4,00.00 करोड़ का नामे शेष घट गया।

(i) कई मामलों में ''प्राप्तियां, संवितरण तथा आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा का विवरण'' (विवरण संख्या 21) में दिखाये गये अंतशेषों और लेखा कार्यालयों/ विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य से रखे जाने वाले अलग से रजिस्टरों अथवा अभिलेखों के अंतशेषों आसमधानिक अन्तर है। विसंगतियों के यथाशीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) शेषों के सत्यापन और उनकी स्वीकृति के लिये अधिकारियों को प्रतिवर्ष सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई है।

(iii) कुछ मामले में जहाँ बड़ी राशियों के शेषों का सत्यापन और उनकी स्वीकृति अप्राप्त रहे, परिशिष्ट VII में दर्शाये गये हैं ।

(iv) वैसे मामले में जहाँ शेषों के सत्यापन के लिए पूरे ब्योरे अभिलेख अपेक्षित हैं, परिशिष्ट VII में दर्शाये गये हैं ।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांश:

(i) विद्यमानता और लेखाकरण अवधि: ये लेखे झारखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के लेन-देनों को प्रस्तुत करता है तथा 26 जिला कोषागारों, 01 साइबर कोषागार (फरवरी 2017 से महालेखाकार को सीधे लेखा प्रस्तुत करने हेतु), 06 उप कोषागारों, 288 लोक निर्माण-कार्य प्रमंडलों (नदी घाटी परियोजनाओं सहित), 113 वन प्रमंडलों द्वारा प्रेषित आरंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक के एड्भाइसों के आधार पर तैयार किए गए हैं। मासिक लेखे के प्रेषण में विलम्ब नगण्य रहा तथा 31 मार्च 2019 को कोई भी लेखा असम्मिलित नहीं रहा।

(ii) लेखाकरण का आधार : कुछ खाता समायोजनों **(अनुबंध 'क')** को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान हुए वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है। भौतिक परिसम्पत्तियों और वित्तीय सम्पत्तियों यथा निवेश इत्यादि को ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया गया है, जैसे कि अधिग्रहण/खरीदे जाने के वर्ष के मूल्य पर। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवनकाल के अंत में हुई हानियों को भी व्ययित या मान्यता नहीं दी गई है।

लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृति हितलाभों को लेखे में दर्शाया गया है, परंतु सरकार के भविष्य में होने वाले पेंशन दायित्वों, जैसे कि अपने कर्मियों के विगत समय तथा वर्त्तमान सेवा के लिए सेवानिवृति हितलाभ के भुगतान के दायित्व को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं : झारखण्ड सरकार के लेखे भारतीय रूपया (₹) में संधारित किया जाता है।

(iv) लेखे का फार्म : संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द 'फार्म' का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन-देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षो के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।

(v) राजस्व तथा पूंजी के बीच वर्गीकरण :

(क) राजस्व व्यय, आवर्ती प्रकृति तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय को माना जाता हैं पूंजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, पूंजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि बढ़ते हुए ठोस परिसम्पतियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है।

(ख) सरकार द्वारा ₹ 0.88 करोड़ 'मुख्य कार्य' के रूप में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत व्ययित किया गया, जैसा कि **अनुबंध 'ख'** में दर्शाया गया है।

2. लेखा की गुणवता

(i) वस्तु एवं सेवा कर

केन्द्र सरकार से प्राप्त शुद्ध आय का राज्य हिस्सा सहित झारखण्ड राज्य के लिए जी.एस.टी. का कुल संग्रह ₹ 14,571.92 करोड़ था, जिसमें ₹ 985.50 करोड़ आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के कारण प्राप्त हुए। 2018-19 के दौरान, ₹ 5,900.18 करोड़ केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर की ओर झारखण्ड सरकार को सौपा गया है। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के मुआवजे के लिए राज्य सरकार को 2018-19 के दौरान ₹ 1,029.00 करोड़ मिले।

(ii) लघु शीर्ष ''800'' - 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज आँकड़े

11 राजस्व, पूँजी तथा ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 1,161.38 करोड़ की राशि को लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। वैसे उदाहरण जिनमें उल्लेखित अनुपात (10 प्रतिशत या अधिक) जो लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, को **अनुबन्ध 'ग'** में सूचीबद्ध किया गया है। इसी तरह, प्राप्ति पक्ष में 47 राजस्व लेखा मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत ₹ 832.91 करोड़ संबंधित मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। लघुशाीर्ष 800 के नियमित संचालन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योकि इससे लेखे की अपारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। वैसे उदाहरण जिनमें प्राप्तियों का उल्लेखित अनुपात (10 प्रतिशत या अधिक) जो लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, को **अनुबन्ध 'घ'** में सूचीबद्ध किया गया है।

(iii) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए॰सी॰) विपत्र

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृश्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत है एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान ₹ 924.67 करोड़ का 1,282 डी.सी. विपत्र प्राप्त हुआ। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2018-19 (31 मार्च 2019 की स्थिति) तक ₹ 5,479 करोड़ के कुल 18,287 ए॰सी॰ विपत्र लम्बित है। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किए गए व्यय को अनियमित एवं अप्रमाणित बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं :-

1 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए॰सी॰) की सारणी

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी०सी०) की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	17,789	4,395
2017-18	276	441
2018-19	222	643
योग	**18,287**	**5,479**

मुख्य चूककर्ता विभाग जिन्होंने विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं है, वे निम्नवत है

विभाग/संस्था	एन०सी० विपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	ए०सी० विपत्र की कुल बकाया राशि का प्रतिशत
ग्रामीण विकास विभाग - ग्रामीण विकास प्रभाग	2,942	1,368.60	24.98
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1,771	554.69	10.12
महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग	3,063	534.21	9.75

कल्याण विभाग - कल्याण प्रभाग	1,821	446.17	8.14
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - गृह प्रभाग	1,353	383.14	6.99
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग- कृषि प्रभाग	561	178.25	3.25
पथ निर्माण विभाग	34	161.53	2.95
विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग - प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	202	157.74	2.88
पर्यटन, कला संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों का विभाग - कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों का प्रभाग	445	153.41	2.80
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	485	144.74	2.64

वर्ष 2018-19 में आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी की गई ₹ 1,061 करोड़ में से केवल मार्च 2019 में ₹ 62 करोड़ (5.84 *प्रतिशत*) की निकासी की गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 2 करोड़ (0.19 *प्रतिशत*) की निकासी आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई। मार्च माह में आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध किये गये महत्वपूर्ण व्यय दर्शाता है कि यह निकासी केवल बजट प्रावधान को खर्च करने के लिए ही की गई तथा यह बजट पर नियंत्रण की न्यूनता को भी उद्घाटित करता है। इस मामलें को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया, तथापि कोई विशेष सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

(iv) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत् सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी के प्राधिकार अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान कि उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है:-

2 : बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की सारणी

वर्ष [1]	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2016-17 तक	16,097	19,101.92
2017-18	4,915	14,731.75
2018-19	4,219	19,545.33
योग	**25,231**	**53,379.60**

[1] उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है।

इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

मुख्य चूककर्ता विभाग जिन्होंने बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वे निम्नवत है

विभाग/संस्था	बकाया यू०सी० की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र कि कुल बकाया राशि का प्रतिशत
शहरी विकास विभाग	6,931	12,232.71	22.92
मानव संसाधन विभाग	3,120	11,781.58	22.07
पंचायती राजय एवं एन.आइ.ई.पी.	1,723	11,512.21	21.57
ऊर्जा विभाग	54	5,360.12	10.04
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	301	4,772.79	8.94
ग्रामीण विकास विभाग	492	2,782.63	5.21
कल्याण विभाग	8,714	2,071.84	3.88
उद्योग विभाग	945	516.71	0.97
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	610	846.10	1.58

2008–19 के दौरान वित्त विभाग के साथ इस मुद्दे पर किए गए नियमित पत्राचार के अलावा 9/5/2019 और 6/9/2019 को आयोजित झारखण्ड सरकार के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के साथ बैठक के दौरान प्रमुख चूक विभागों को प्रधान महालेखाकार के स्तर पर संबोधित किया गया है।

(v) प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान

झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अंतर्गत, सभी नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का मिलान करें।

वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 28,070.62 करोड़ (42.60 *प्रतिशत*) का व्यय, जो कि 16.06 *प्रतिशत* आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (8500 में से 1365) (180 में से 125 नियंत्री पदाधिकारी) के द्वारा ही मिलान किया गया। ₹ 34977.87 करोड़ (54.65 *प्रतिशत*) की प्राप्ति जो कि सिर्फ 401 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (100 नियंत्री पदाधिकारी में से 30) के द्वारा ही मिलान किया गया।

टिप्पणी : प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी के अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की वास्तविक संख्या, जो महालेखाकार कार्यालय में बुक किए गए विभागीय आंकड़ों के साथ मिलान करने के लिए अधिकृत है, सूचना के संबंध में राज्य सरकार से पत्र सं. ए.ए. (2018–19) एन.टी.ए. 580 दिनांक 14.10.2019 के द्वारा माँग की गई है। राज्य सरकार से सूचना अबतक प्रतिक्षित है।

इतनी बड़ी राशि को मिलान नहीं करने के कारण वार्षिक लेखे में प्राप्तियों तथा व्यय के आँकड़ों की शुद्धता तथा आश्वासन को सीमित करता है। इस मामले को बार–बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(vi) रोकड़ शेष

31 मार्च 2019 तक राज्य का नकद शेष ₹ 1,88.30 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

क	ट्रेजरी में नकद	मुख्य शीर्ष 8999-101	₹ 0.00 करोड़
ख	भा. रिजर्व बैंक के साथ जमा	मुख्य शीर्ष 8999-102	₹ 188.30 करोड़
ग	प्रेषण स्थानीय	मुख्य शीर्ष 8999-104	₹ 0.00 करोड़

जमा में प्रेषण भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा एक रिज़र्व बैंक डिपॉजिट (राज्य) के संबंध में एक मासिक नकद शेष है जिसे मुख्य शीर्ष ''8675- रिजर्व बैंक के साथ जमा'' के तहत बुक किया गया है, जिसे अंततः हर महीने के अंत में ''8999-कैश बैलेंस'' में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वर्ष 2018-19 के लिए पूरे महीने के हिसाब से नकदी संतुलन का विश्लेषण किया गया है जिसमें पता चला है कि वर्ष 2018-19 (अप्रैल 2018, मई 2018, जुलाई 2018, अगस्त 2018 और नवंबर 2018) के दौरान पांच मौकों पर राज्य का नकारात्मक संतुलन रिजर्व बैंक जमा में था चूंकि राज्य का भुगतान प्राप्तियों से अधिक था।

मार्च 2019 के अंत में ₹ 1,71.81 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था जिसमें महालेखाकार की पुस्तक में प्रतिबिंबित आंकड़ों के बीच अक्टूबर 1987 से पहले की अवधि से संबंधित ₹ 1.61 करोड़ (नामे) का पुराना अंतर शामिल है। {₹ 1,88.30 करोड़ (नामे)} और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतरिम {₹ 16.49 करोड़ (जमा)} ₹ 4.82 करोड़ (नामे) की राशि को सम्मलित कर मंजूरी दे दी गई है। ₹ 1,66.99 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर अभी भी बकाया है और मिलान के अधीन है।

प्रत्येक महीने की विसंगति का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, संबंधित एजेंसी बैंकों और राज्य सरकार को मिलान के लिए सूचित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक से समायोजन प्रविष्टियों की प्राप्ति पर, इस कार्यालय की पुस्तकों में अंतर का निपटान किया जाएगा।

(vii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन :

राज्य सरकार द्वारा राज्य/जिला स्तरीय स्वशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधि उपलब्ध करायी जाती है। चूंकि सामान्यतः क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्णतः व्यय नहीं की जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त में क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खातों में अव्ययित शेष पड़े रह जाते हैं। क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में अव्ययित कुल शेषों, जिसे सरकारी लेखे के बाहर रखा जाता है, को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। अतः लेखे में प्रतिबिम्बित सरकार के व्यय को उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है।

सचिव (व्यय) वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से इस मुद्दे पर सूचना हेतु पत्र संख्या ए.ए./2018-19/एनटीए/580 दिनांक 14.10.2019 के द्वारा अनुरोध किया गया था लेकिन कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है।

3. अन्य मद

(i) लेगसी मुद्दे

क. पेंशन दायित्वों एवं अन्य सेवानिवृति हितलाभों का बंटवारा

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आठवें अनुसूची की धारा 53 के शर्त्तों के अनुसार 15 नवंबर 2000 (बिहार एवं झारखंड राज्य के बंटवारे की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक एवं प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में उत्तरवर्ती राज्यों

बिहार एवं झारखंड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों का बंटवारा कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखंड के बीच किया जाना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा किये गये दावे एवं झारखंड सरकार द्वारा किये गये भुगतान का विवरण इस प्रकार है –

(₹ करोड़ में)

बिहार सरकार द्वारा किया गया दावा		झारखंड सरकार द्वारा किया गया भुगतान		
वर्ष	**राशि**	**वर्ष**	**पत्र संख्या एवं दिनांक**	**राशि**
15.11.2000 से 31.03.2011	2,584.09 [2]	2011-12	725, दिनांक 30.03.2012	50.00
2011-12 से 2012-13	771.37	2012-13	778 दिनांक 30.03.2013	100.00
2013-14 से 2015-16	816.02	2013-14	1324 दिनांक 28.05.2013	100.00
			162 दिनांक 20.01.2014	298.17
		2015-16	989 दिनांक 30.03.2016	175.00
2016-17	337.54	2016-17	1739 दिनांक 15.06.2016	13.65
2017-18	296.73	2017-18	306 दिनांक 08.02.2018	200.00
2018-19	अभी तक सूचित नहीं किया गया है	2018-19	275 दिनांक 30.01.2019	557.13
कुल	**4,805.75**			**1,493.95**

[2] झारखंड सरकार ने मई 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल सूट संख्या 1/2012 को दायर किया है, जो बिहार सरकार द्वारा दावा की गयी पेंशन देयता के भुगतान को चुनौती देती है, जो अभी भी उप-न्याय के अधीन है।

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि झारखंड सरकार ने तदर्थ आधार पर भुगतान किया है। बिहार सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए कोई भी मांग का दावा प्रस्तुत नहीं किया। इसीलिए, शीर्ष ''2071'' के अंतर्गत आँकड़े उस सीमा तक कम हो जाते हैं।

प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक), झारखण्ड, राँची एवं उप महालेखाकार, महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार, पटना का कार्यालय के बीच उपरोक्त मुद्दे पर एवं भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय के लिए दिनांक 06.06.2019 को बैठक हुई थी। इस संबंध में दोनों सरकारों से अग्रेतर कार्रवाई की प्रतिक्षा है।

ख. राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का बंटवारा :

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में यह प्रावधानित है कि उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के शेषों का बंटवारा 15 नवम्बर 2000 (बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के विभाजन की तिथि) से किस प्रकार किया जाये। पूंजी अनुभाग (मुख्य शीर्ष '4059' से '5475'), कर्ज एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष '6202' से '7615') के अन्तर्गत 14 नवम्बर 2000 तक का प्रगामी व्यय तथा रिजर्व बैंक के साथ जमा के अतिरिक्त भाग - III लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों को 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का बिहार सरकार के वित्त लेखे में आरम्भिक शेषों के रूप में स्थानान्तरित किया गया था। 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे में इन शीर्षों के लिये आरम्भिक शेषों को शून्य के रूप में लिया गया था।

पेंशन दायित्वों के बंटवारे के साथ-साथ कुछ परिषदों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि के स्वामित्व के लिये झारखण्ड सरकार ने वैधिक आश्रय लिया है।

सार में, लोक ऋण एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित रोकड़ शेष के अन्तर्गत शेषों का बंटवारा किया जा चुका है, जबकि पूंजी अनुभाग (₹ 11,935.23 करोड़), कर्ज एवं अग्रिम (₹ 6,583.36 करोड़) एवं लोक लेखा

(₹ 7,443.90 करोड़) के अन्तर्गत शेषों का बंटवारा नहीं किया गया है। विस्तृत विवरण वित्त लेखे 2018-19 के परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

शेषों का बंटवारा के लिए मदवार विस्तृत विवरण (एनेक्चर (ए से ह) तैयार किया गया है और संबंधित महालेखाकारों द्वारा दोनों सरकारों को सितम्बर 2014 में सहमति हेतु भेजा गया है। उसके बाद इस मसले पर पत्राचारों एवं बैठकों द्वारा नियमित रूप से प्रयासरत है। हाल ही में 02 जुलाई 2019 को इंट्री कान्फ्रेंश का आयोजन हुआ था एवं पत्र सं. 580 दिनांक 14.10.2019 द्वारा इस मामला को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ उठाया गया था। इस मामले पर दोनो सरकारों की सहमति अबतक प्रतिक्षित है।

ग. झारखण्ड राजय विद्युत बोर्ड (जे.एस.इ.बी) के विघटन के पूर्व असमायोजित बकाया ऋण :

झारखण्ड सरकार ने अपने ज्ञापांक सं. 1538 दिनांक 06.06.2013 के द्वारा संकल्प पारित किया और जे.एस.इ.बी. के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कॉपोरेट संस्थाओं के गठन का निर्णय लिया गया है –

कम्पनी का स्वरूप	कम्पनी का नाम
नियंत्रक कम्पनी	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
उत्पादन कम्पनी	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड
संचरण कम्पनी	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
वितरण कम्पनी	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना 2013 की अनुसूची ई की अनुसार ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 18 दिनांक 6 जनवरी 2014 को जारी किया गया। बोर्ड द्वारा देय राज्य सरकार के बकाये ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि को राज्य सरकार के खाते में बोर्ड से वसूलनीय दिखया जायेगा जबतक कि बोर्ड एवं राज्य सरकार के बीच इसका अन्तिम समायोजन न हो जाए। बोर्ड के विघटन से पहले वर्ष 2013-14 तक बोर्ड के विरुद्ध 7,222.18 करोड़ ऋण की राशि बकाया है, जो वित्त लेखे के विवरण संख्या - 18 में अभी दिखाया जा रहा है।

(ii) सेवा निवृत हितलाभों पर दायित्व

2018-19 के दौरान राज्य सरकार का 30.11.2004 का या उससे पहले के बहाल कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सेव. निवृति हितलाभ में शीर्ष 2071-117 के अन्तर्गत कर्मचारियों को अंशदान ₹ 427.31 करोड़ को छोड़कार ₹ 5,564.17 करोड़ व्यय हुआ (कुल राजस्व व्यय का 10.99 प्रतिशत)।

(iii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

राज्य सरकार द्वारा 01.12.2004 से प्रभावित भर्त्तियों को नई पेंशन योजना के अनुसार मान्यता दी गई, जिसे 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया। नई योजना के अनुसार, कर्मी अपने मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे, जिसमें राज्य सरकार का समान योगदान होगा तथा सम्पूर्ण राशि को नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पदधारी निधि प्रबंधक कर स्थानांतरित किया जाएगा। कर्मियों को दिये जाने वाले वास्तविक राशि तथा भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड द्वारा इसकी समराशि का निर्धारण नहीं किया गया है। जबकि राज्य सरकार ने वर्ष के लिए कर्मियों का अंशदान (₹ 426.55 करोड़) को लोक लेखा एवं उसके बाद एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में स्थनांतरित करने के लिए सही लेखाकरण पद्धति अपनाया, वहीं नियोक्ता अंशदान (₹ 427.31 कारेड़) को लोक लेखे में स्थानांतरित न कर सीधे एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित कर दिया गया। चूँकि राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेन-देनों में विवरणों को लोक लेखा में शेषों से भिन्न प्रत्येक वर्ष सरकारी लेखों को बन्द किये जाते है। इसमें जो प्रक्रिया अपनायी गई उससे पूर्व वर्षों में किये गये सरकारी अंशदान के विवरणों का मूल्यांकन करना कठिन है।

31 मार्च 2019 को मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमा, 117–सरकारी परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी अंशदान का ₹ 12.64 करोड़ एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित नहीं किया गया। दिशा–निर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा उन शेषों पर ब्याज का भुगतान अपेक्षित है जो कि नहीं किया गया। फलत: इस योजना के अन्तर्गत उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानातरित राशियाँ बकाया दायित्वों को इंगित करती है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

वित्त लेखे के विवरण सं 9, वर्ष के दौरान, सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा वर्ष के अंत में दी गई गारंटी के बकाया राशि को दर्शाता है। वर्ष 2018–19 तक सरकार द्वारा कोई गारंटी नीति एवं गारंटी विमोचन निधि का आकलन/गठन नहीं किया गया है।

दामोदर घाटी निगम से खरीदी गई बिजली के मासिक बिल के भुगतान के लिए भूतपूर्व झारखंड राज्य बिजली बोर्ड, राँची की तरफ से इलाहाबाद बैंक, राँची को ₹ 157.15 करोड़ की राज्य गारंटी दी गई है। इसकी अवधि, नियम एवं शर्त्तें, जिसके आधार पर गारंटी दी गई थी, की जानकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना ए.ई./ऊ.वि. बोर्ड.02/17–3072 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 450.00 करोड़ की राज्य गारंटी 31.03.2020 तक के लिए इस शर्त के साथ दी गई है कि कर्ज का पुनर्भुगतान पुरी तरह से झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निहित होगा। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र के गारंटी कमीशन पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए कम्पनी से कोई गारंटी कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के विरुद्ध पूर्व में दी गई गारंटी ₹ 157.15 करोड़ को रद्द करने/वापस लेने से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है।

(v) कर्ज तथा अग्रिम

कर्ज तथा अग्रिम हेतु भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा॰स॰ले॰मा॰) 3 के अधीन जैसा कि अपेक्षित है वित्त लेखे 2018–19 के विवरण सं॰18 में उपलब्ध सूचना अपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसे सम्पुष्ट नहीं किया गया है। कर्ज तथा अग्रिम से संबंधित अतिदेय मूलधन तथा ब्याज का विस्तृत जानकारी जिसका लेखा राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाता है, प्रतीक्षित है क्योंकि 31 मार्च 2019 तक के शेषों पर राज्य सरकार से सम्पुष्टि अप्राप्त है। वैसे ऋणों, जिसका विस्तृत लेखा महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) द्वारा संधारित किया जाता है उन मामलों में भी राज्य सरकार से व्यक्तिगत कर्जधारकों के शेषों की स्थिति प्रतीक्षित है। इसे वित्त लेखे 2018–19 के परिशिष्ट–VII-1- शेषों की स्वीकार्यता में दर्शाया गया है।

इस कार्यालय के पत्र सं. एए/(2018–19)–एनटीए–580 दिनांक 14.10.2019 के द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की अतिदेय प्रिंसिपल और ब्याज के बारे में जानकारी 31.03.2019 तक दी जाए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ।

(vi) निवेश

वित्त लेखे के विवरण सं॰ 8, सांविधिक निगमों में हिस्सा–पूँजी, ग्रामीण बैंको, सरकारी कम्पनियों, कम्पनियों के संयुक्त स्टॉक तथा सहकारिता संस्थानों एवं स्थानीय निकायों में वर्ष 2018–19 के दौरान तथा अंत में किए गए निवेश के तुलनात्मक सारांश को दर्शाता है। विस्तृत निकाय–वार निवेश, वित्त लेखे के विवरण सं॰ 19 में दिया गया है। ₹ 432.87 करोड़ के कुल निवेश, में से ₹ 109.52 करोड़ (25.30 प्रतिशत) का निवेश राजस्व लेखे से किया गया है।

(vii) गुप्त सेवा निधि के लिए ''पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा'' के बकाया प्रमाण–पत्र

झारखंड वित्तीय नियमावली के परिशिष्ट–V का अनुबंध 4 के अनुसार, गुप्त सेवा निधि से हुए व्यय का, सरकार के द्वारा नियुक्त नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा, एक पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा का संचालन किया जाना

है तथा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) को निर्धारित प्रपत्र में व्यय से संबंधित वर्ष से अगले वर्ष के 31 अगस्त तक प्रेषित किया जाना चाहिए। नियंत्री पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रत्येक वर्षों से संबंधित प्रमाण-पत्र जिन्हें महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) को 31 मार्च 2019 तक प्रेषित नहीं किया गया है :-

3 : गुप्त सेवा निधि का बकाया प्रमाण-पत्र के लिए सारणी

वर्ष	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)	प्रमाण-पत्र उपस्थापन की नियत तिथि
2005-06	आरक्षी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक	8.30	31 अगस्त 2006 को या उससे पहले
2007-08	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.50	31 अगस्त 2008 को या उससे पहले
2008-09	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2009 को या उससे पहले
2012-13	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2013 को या उससे पहले
2013-14	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2014 को या उससे पहले
2014-15	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2015 को या उससे पहले
2015-16	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.00	31 अगस्त 2016 को या उससे पहले
2016-17	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.10	31 अगस्त 2017 को या उससे पहले
2017-18	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.50	31 अगस्त 2018 को या उससे पहले

(viii) आरक्षित निधियाँ एवं जमा

(क) ब्याज दायित्वों का विमुक्त नहीं किया जाना

लोक लेखा के क्रमशः खण्ड (ञ) एवं (ट) के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज वाली जमा से संबंधित ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किया जाना अपेक्षित है। 1 अप्रैल 2018 को वैसे आरक्षित निधियाँ एवं जमा में शेषों के वावजूद राज्य सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है :-

4 : आरक्षित निधियाँ एवं जमा पर ब्याज दायित्व के लिए सारणी

(₹ करोड़ में)

खण्ड	उप खण्ड	2018-19 का आरंभिक शेष	ब्याज दर	बकाया ब्याज
ञ-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ (रा॰आ॰मो॰नि॰)	1,151.04	8.25 *प्रतिशत* (अर्थोपाय अग्रिम ब्याज दर की औसत)	94.96
ट-जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा (अंशदान पेंशन योजना)	13.52	7.77 *प्रतिशत* (सामान्य भविष्य निधि के शेषों पर देय ब्याज दर)	1.05
			योग	**96.01**

(ख) ब्याज देय आरक्षित निधियाँ

राज्य आपदा मोंचन निधि : 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार ने अपने वर्तमान आपदा राहत निधि को पुनः स्थापित करते हुए वर्ष 2010-11 से ''राज्य आपदा मोचन निधि का प्रचालन प्रारम्भ किया।

दिशा–निर्देशों के शर्तों के अनुसार, इस निधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में अंशदान करना है। निधि का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

1.04.2018 को अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष के दौरान प्राप्त राज्यांश	वर्ष के दौरान एस.डी. आर.एल. में कुल स्थानातरित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि से व्यय	31.3.2019 का निधि का अंतशेष
1,551.04	315.75	105.25	421.00	41.95	1,930.09

(ग) ब्याज अदेय आरक्षित निधियाँ

(i) **समेकित निक्षेप निधि :** 12वीं वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों द्वारा सभी ऋणों के परिशोधन हेतु निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिए तथा इन ऋणों की क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त इन निधियों का किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (भा॰रि॰बैं॰) के दिशा–निर्देशों, के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 *प्रतिशत* न्यूनतम वार्षिक अंशदान निर्धारित है तथा यह निधि के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य सरकार के पास ₹ 77,095.04 करोड़ की राशि बकाया कर्ज के रूप में है जिसके लिए एक न्यूनतम राशि ₹ 385.48 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.50 *प्रतिशत* की दर से) निक्षेप में योगदान के लिए थी। वर्ष 2016–17 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा दायित्वों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का सृजन किया गया है। यद्यपि 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान क्रमशः ₹ 200 करोड़, ₹ 230 करोड़ एवं ₹ 255 करोड़ के बजट प्रावधान किये गये थे लेकिन राज्य सरकार द्वारा आरम्भ से कोई भी राशि निक्षेप निधि में स्थानांतरित नहीं की गयी थी।

(ii) **गारंटी विमोचन निधि :** 12 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक गारंटी विमोचन निधि का गठन अपेक्षित है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा निर्गत किये गये गारंटियों से उत्पन्न देयताओं के भुगतान को पूरा करने के लिये किया जायेगा। निधि का संचालन राज्य सरकार के लेखे से बाहर किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका प्रचालन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया है। यद्यपि दिनांक 1 अप्रैल 2018 को ₹ 157.15 करोड़ के बकाया गारंटियाँ था।

(iii) **निष्क्रिय आरक्षित निधि :** समेकित निक्षेप निधि तथा गारंटी विमोचन निधि इस राज्य में अबतक निष्क्रिय है।

(ix) उचंत एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के विभिन्न शीर्षों में बकाया 'नामे' एवं बकाया 'जमा' शेषों को पृथक रूप से निकाल कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंतर्गत कुछ मुख्य उचंत शीर्षों एवं प्रेषण शीर्षों के सकल आंकड़ों की स्थिति **अनुबंध 'ङ'** में दर्शाई गई है।

(x) आकस्मिकता निधि

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधित) अधिनियम, 2015 के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान झारखण्ड आकस्मिकता निधि की कुल राशि ₹ 500.00 करोड़ है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 69.72 करोड़ की राशि का 40 स्वीकृत्यादेश निर्गत किया, जिसकी प्रतिपूर्ति, अनुपूरक बजट के माध्यम से, वर्ष के अंत में, निधि की कुल राशि को अक्षुण्ण रखते हुए की गई।

(xi) व्यय का प्रवाह

वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय ₹ 65,888.13 करोड़ में से 35.49 *प्रतिशत* ₹ 23,383.38 करोड़ 2018–19 अंतिम तिमाही के दौरान व्यय हुआ।

इसी प्रकार वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 64,002.70 करोड़ में से 31.90 *प्रतिशत* ₹ 20,415.53 करोड़ अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुआ। प्राप्ति के अनुरूप व्यय का अन्तिम तिमाही (जनवरी 2019 से मार्च 2019) का माहवार तुलना निम्न है:

माह	प्राप्ति	व्यय	कुल प्राप्ति का *प्रतिशत*	कुल व्यय का *प्रतिशत*
जनवरी 2019	5,738.66	6,750.59	8.97	10.29
फरवरी 2019	2,299.92	4,319.60	3.59	6.56
मार्च 2019	12,376.95	12,313.19	19.34	18.69
कुल	**20,415.53**	**23,383.38**	**31.90**	**35.49**

हालांकि, पिछले वर्ष (जनवरी से मार्च 2018) इस अवधि के दौरान कुल व्यय (67,705.95) का 39.17 प्रतिशत (26,518.74 करोड़) था। 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष के अधीन हुए व्यय का विवरण **अनुबंध 'च'** में दिया गया है।

अप्रतिबद्ध देयताओं के संबंध में व्यय का प्रवाह : कुल राजस्व व्यय ₹ 47,051.54 करोड़ (प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर) में से ₹ 5,522.00 करोड़ (प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन, मजदूरी, ब्याज भुगतान, सेवानिवृत्त दायित्व, सबसिडी एवं वेतन (जी.आई.ए. को छोड़कर) का राजस्व व्यय 11.74 *प्रतिशत* मार्च 2019 में किया गया था। इसी प्रकार कुल पूंजीगत व्यय ₹ 10,707.60 करोड़ में से ₹ 1,076.66 करोड़ का पूंजीगत व्यय 10.06 *प्रतिशत* मार्च 2019 में हुआ था।

राजस्व व्यय का ₹ 572.02 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय का ₹ 57.42 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 1.13 *प्रतिशत* एवं 0.54 *प्रतिशत* क्रमशः) मार्च 2019 का अंतिम दिन व्यय हुआ।

(xii) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऐं (के॰ प्रा॰ यो॰) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ॰ के॰ स॰ - ब्लॉक अनुदान रहित) का पुर्नसंरचना

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में योजना आयोग ने 66 छत्र योजनाओं के अंतर्गत 137 के॰ प्रा॰ यो॰ तथा 5 अ॰ के॰ स॰ योजनाओं का निरुपण किया। 1 अप्रैल 2014 और उसके बाद भारत सरकार ने कार्यान्वयन अभिकरणों के बजाय सीधे राज्य सरकार को के॰ प्रा॰ यो॰ / अ॰ के॰ स॰ के लिए केन्द्रीय सहायता निर्गत किया; वैसे निर्गतों को अब ''राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि झारखण्ड सरकार के बजट में इन्हें पूर्व की भाँति ही दर्शाया गया, न की के॰ प्रा॰ यो॰ / अ॰ के॰ स॰ / फ्लैगशिप योजनाओं के पुर्नसंरचित ढ़ॉचे के आधार पर।

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 10,645.45 करोड़ की राशि को महालेखा नियंत्रक (सी०जी०ए०) के "लोक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था" (पी०एफ०एम०एस०) पोर्टल में झारखण्ड सरकार के राज्य योजना के 77 योजनाओं को, केन्द्रीय सहायता के रूप में, जिसमें से ₹ 6,702.54 करोड़ झारखण्ड में 42 के०प्रा०यो०/अ०के०स०/फ्लैगशिप योजनाओं के लिए दिया गया है, को दर्शाया गया है। यद्यपि भारतीय रिजर्ब बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर द्वारा क्लीयरेंस मेमो तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा ₹ 6,702.54 करोड़ से संबंधित सहयोगी स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुए एवं राज्य सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष '1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान' के अंतर्गत उचित रूप में दर्ज किया गया। चूँकि राज्य सरकार द्वारा योजना व्यय को वर्त्तमान वर्गीकरण ढाँचे के रुप में दर्शाया जाना जारी है, 42 फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय, जिसे भारत सरकार द्वारा निर्गत राशि से किया गया, के विस्तृत ब्यौरे का आकलन संभव हुआ था तथा जिसे वित्त लेखे 2018-19 के विवरण सं॰ 15 के अनुबंध II में दिया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा शेष 15 योजनाओं पर सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(xiii) राज्य में क्रियान्वयन करनेवाले अभिकरणों (राज्य बजट के बाहर दिखाए गए निधियों) को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण

01 अप्रैल 2014 से भारत सरकार से सी.एस.एस./ए.सी.ए. का केन्द्रीय सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों के बजाय सीधे राज्य सरकार को निर्गत किया जाना है।

पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार भारत सरकार के निर्णय के बावजूद सी.एस.एस./ए.सी.ए. को सहायता के रूप में ₹ 304.19 करोड़ की राशि को 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के बजाय सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संस्थानों (एन.जी.ओ.) का निर्गत किया गया है। इसी प्रकार 2017-18 में ₹ 322.36 करोड़ था। विस्तृत विवरण वित्त लेखे 2018-19 के परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

(xiv) अपलेखित केन्द्रीय ऋणों के विरुद्ध किए गए अधिक पुनर्भुगतान का समायोजन

13वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का स्वीकृत्यादेश संख्या - 13/2011-12 दिनांक 29 फरवरी 2012 के भारत सरकार के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय के अलावे) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अग्रिमों का 31 मार्च 2010 को बकाया केन्द्रीय योजनाओं का अपलेखन किया गया। इन अपलेखित ऋणों के विरूद्ध 31 मार्च 2010 के पश्चात् राज्य द्वारा किए गए कर्ज एवं ब्याज का पुर्नभुगतान, यदि कोई हो, को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार से चालू ऋणों के विरूद्ध राज्यों से देय ऋणों के पुर्नभुगतान के विरूद्ध समायोजित किया जाना था। आज की तारीख में राज्य सरकार ने मूलधन एवं ब्याज पर ₹ 2.28 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान पांच मंत्रालयों के पक्ष में (शहरी मंत्रालय ₹ 89,387.00, सड़क और राजमार्ग ₹ 71,593.00, कृषि मंत्रालय ₹ 1,48,60,746.00, निर्माण और आवास ₹ 59,467.00, ऊर्जा ₹ 28,862.00 एवं जल संसाधन ₹ 7654567.00, कुल 2,27,64,622.00) किया गया, जो अभी भी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समायोजन के लिए लंबित है।

(xv) केन्द्रीय सड़क निधि (सी॰आर॰एफ॰) से संबंधित लेनदेनों का त्रुटिपूर्ण लेखाकरण

केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेखाकरण प्रक्रिया यह निर्धारित करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायक अनुदानों की प्राप्तियों को पहले लेखे के राजस्व अनुभाग (मुख्य शीर्ष 1601) में दर्ज किया जाना है, तत्पश्चात् निधि का स्थानांतरण लोक लेखे (मुख्य शीर्ष-8449 अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा उपभेदन) के अंतर्गत राजस्व व्यय (मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु) को नामे करके किया जाना चाहिए। यह इस सिद्धान्त का पालन करता है कि सहायता अनुदानों को उद्देश्यों (पूंजीगत या राजस्व) से असंबंधित रूप से राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में, अनुदान के कारण त्रुटिपूर्ण विचलन न हो सके। इसी को, मुख्य शीर्ष 3054/5054 लघु शीर्ष 902 को संबंधित ऋणात्मक नामे के द्वारा ''शीर्ष 8449-अन्य जमा'' को नामे कर लेखाकरण किया जाना चाहिए।

तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया का विचलन किया गया तथा लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449-103 का परिचालन नहीं किया गया। भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 63.33 करोड़ को राजस्व प्राप्ति के मुख्य शीर्ष-1601-08-108 के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया था। चूंकि यह राशि लोक लेखे के माध्यम से भेजा नही गया इसलिए सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त किये गये राशि की वास्तविक उपयोगिता के लिए कोई आश्वासन प्राप्त नही हुआ।

इस कार्यालय के पत्र सं. बुक सी.आर.एफ.-392, 184, 418, 34, 137, 580 एवं 587 दिनांक 10/03/2016, 01/09/2016, 28/03/2017, 14/05/2018, 18/08/2019, 14/10/2019, 17/10/2019 के द्वारा यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था। नियमित रूप से प्रयास के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 2016-17 से सी.

आर.एफ. के लिए बजट प्रावधान किया है, लेकिन आज तक फंड में कोई राशि हस्तातरित नहीं की गए, इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

(xvi) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ॰आर॰बी॰एम॰) अधिनियम, 2007 में प्रकटीकरणः

झारखण्ड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के साथ पठित झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों, 13 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिसीमाओं तथा वर्ष 2018-19 के लेखे के अनुसार उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :-

5 : एफ॰आर॰बी॰एम॰ अधिनियम के अधीन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ की सारणी

क्रम सं॰	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे में शून्य तक की कमी करना	राज्य सरकार राजस्व अधिशेष के रूप में वर्ष 2018-19 में ₹ 5,520.97 करोड़ की उपलब्धि हासिल की।
2.	वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स॰रा॰घ॰उ॰)[3] में 3 *प्रतिशत* तक की कमी करना	वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा/स॰रा॰घ॰उ॰[3] का अनुपात 2.31 *प्रतिशत* था जो कि पिछले वर्ष के अनुपात में 4.67 *प्रतिशत* से ज्यादा है।

[3] स्त्रोत : वर्ष 2018-19 के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के अनुसार स॰घ॰रा॰उ॰ का आँकड़ा ₹ 2,86,598.38 करोड़ था।

(xvii) वचनबद्ध देयताएं :

बारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में, जब लेखाकरण की वास्तविकी आधारित व्यवस्था के तहत बदलाव को पसंद किया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार के द्वारा लेखाकरण को वास्तविकी आधारित बनाने की ओर कुछ प्रयास की पहल की गई है। यद्यपि, लेखाकरण की वास्तविकी आधारित व्यवस्था के तहत बदलाव के लिए, गमन चरणों में होगा, इसे और अधिक सूचना निर्णायक बनाने हेतु, विवरणों के रूप में कुछ अतिरिक्त सूचनाओं को वर्त्तमान के रोकड़ लेखाकरण व्यवस्था में जोड़ा जाना चाहिए। इसमें, अन्य के अलावा, जैसे वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीतियों का कार्यान्वयन अथवा भविष्य में रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं से संबंधित भविष्य में वचनबद्ध देयताओं का आँकड़ा शामिल है।

राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए ब्यौरे को आधार मानकर सरकार के वचनबद्ध देयताएं पर वित्त लेखे 2018-19 का परिशिष्ट XII तैयार किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण सूचनाओं का प्रेषण नही किया गया है इसलिए, इसी सीमा तक परिशिष्ट अपूर्ण है।

(xviii) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) :

भारत सरकार ने एक नई योजना - उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की स्वीकृति वित्तीय बदलाव एवं बिजली वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के पुनरूद्धार हेतु दी है, जो महत्वपूर्ण रूप से समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करता है। झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उदय के अन्तर्गत सहायता के रूप में कुल ₹ 6,136.37 करोड़ की राशि वितरण कम्पनियों को प्रदान किया गया, जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सहभागी/ऋणदि बैंको को जारी नॉन एस.डी.एल. बॉन्ड्स के द्वारा ₹ 5,553.37 करोड़ की राशि उगाही की गई जबकि राज्य के संचित निधि से ₹ 583.00 करोड़ की राशि दी गई। ₹ 6,136.37 करोड़ की सम्पूर्ण राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया।

25 सितंबर 2015 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और जे.बी.वी.एन.एल. के बीच एम.ओ.यू. के अनुसार ऋण की राशि को अनुदान (75 प्रतिशत) और इक्विटी (25 प्रतिशत) में परिवर्तित किया जाना था। ऋण को ग्रांट और इक्विटी में अब तक परिवर्तित नहीं किया गया है, जो कम्पनी के नवीनतम खातों से स्पष्ट है।

(xix) राज्य सरकार द्वारा प्रमुख प्रकार के लगाए गए शेष

(क) श्रम सेस :

भारत सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार या सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 को अधिनियमित किया जो निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए ''राज्य भवन और अन्य निर्माण कार्य कल्याण बोर्ड'' के गठन का प्रावधान करता हैं बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर नियम, 1988 को अधिनियमित किया है। उपकर अधिनियम की धारा-3 में उपकर की दर दो प्रतिशत से अधिक नहीं है, लेकिन परियोजनाओं के निर्माण की कुल लागत के एक प्रतिशत से कम नहीं है। यह उपकर सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, चाहे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति/संगठन या अर्ध-सरकारी या निजी संगठन।

झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार का नियमन और सेवा की शर्त) नियम 2006 को अधिसूचित किया। झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड'' का गठन और उपरोक्त नियमों के तहत भवन और अन्य श्रमिकों के कल्याण के उपायों को भी ध्यान में रखा गया है। बोर्ड ने ''झारखण्ड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण निधि'' नामक एक कोष का गठन किया, जिसे अनुदान या ऋण या अग्रिम लाभार्थियों के योगदान और बोर्ड द्वारा प्राप्त ऐसे सभी स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तय किए जा सकते है। इस प्रयोजन के लिए खेले गए बोर्ड के बैंक खाते में शुल्क के रूप में एकत्रित राशि को हस्तांतरित किया जाएगा।

वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक कॉन्ट्रेक लेबर (विनियम और उन्मूलन नियम) के अन्तर्गत सेस के रूप में ₹ 473.48 करोड़ एकत्र किए गए थे। इस राशि को श्रमिकों के कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु श्रम कल्याण बोर्ड को स्थनांतरित किया जाना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने बोर्ड के खाता में सेस निधि के हस्तांतरण की पुष्टि नहीं किया गया है।

(ख) भूमि राजस्व पर सेस : 2008-09 से 2018-19 तक ₹ 78.48 करोड़, शिक्षा सेस, रोड सेस और अन्य सेस के रूप में शीर्ष 0029-103 के अन्तर्गत जमा हुआ था। झारखण्ड कोषागार कोड, 2016 के नियम 349 एवं 350 के अनुसार, जिले में एकत्रित उपकर की पूरी राशि (बकाया राशि संग्रह पर ब्याज सहित) संग्रह की वास्तविक लागत में कटौती के बाद (तौजी और प्रमाण पत्र स्थापना की लागत के आनुपातिक शेयरों सहित) जिला कोष में जमा की जाएगी। महीने के अंत में उपर्युक्त रसीदे और शुल्क भूमि राजस्व के लिए रसीद अनुसूची में उपकर ज्ञापन में लायी जानी चाहिए और निधि के लिए देय निवल राशि और विविध बिल में भुगतान किया गया, जो क्रेडिट ट्रांसफर द्वारा जिला निधि में योगदान के रूप में भुगतान किया गया है। राज्य सरकार के पत्र सं. 470 दिनांक 11.112019 में राशि जिला निधि में स्थानान्तर के संबंध में सूचना नहीं दी गई है।

(ग) पेट्रोल और डीजल पर सेस : राज्य सरकार ने पत्र सं. 470 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त शेष वाणिज्य कर विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 0040 के अन्तर्गत संग्रह किया जाता है। इससे उचित शीर्ष का निर्धारण प्रक्रियाधीन है। पेट्रोल एवं डीजल पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्राप्त सेस की राशि राजकोष में संचित रहती है, इसे किसी प्रधिकार को स्थानान्तरित नहीं किया जाता है।

भूमि राजस्व पर सेस और पेट्रोल एवं डीजल पर सेस के संबंध में कोई लेखांकन नीति राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र सं. 470 दिनांक 11.11.2019 में सूचित नहीं किया गया है।

(xx) राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे पर प्रभाव :

राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (विस्तृत ब्यौरा पूर्ववर्ती कंड़िकाओं में दिया गया है) निम्न प्रकार से है:-

6 : राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव की सारणी

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद सं॰	मद	राजस्व घाटा पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिकथन	न्यूनकथन	अधिकथन	न्यूनकथन
3(viii)(क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ एवं जमा के अन्तर्गत ब्याज जमा नहीं किया जाना	96.01	–	–	96.01
3(viii)(ग)(i)	समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं किया जाना	385.48	–	–	385.48
3(viii)(ग)(ii)	गारंटी विमोचन निधि में अंशदान नहीं किया जाना	0.79	–	–	0.79
	योग (निवल) अधिकथन/ न्यूनकथन	**482.28**		**482.28**	

(xxi) पाँच वर्ष एवं उससे अधिक अधूरे परियोजना :

पाँच वर्ष एवं उससे अधिक अधूरे परियोजनाओं कि संख्या 19 है, जो **अनुबंध 'छ'** में दिखाया गया है। चार परियोजनाओं को छोड़कर शेष परियोजनाओं अनुमानित लागत में वृद्धि के कारणों को राज्य सरकार के द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

(xxii) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को दिए जानेवाले अनुदान/ऋण, खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है :

वर्तमान में 29 (उन्नतीस) कार्यरत/गैर-कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जिसमे से 19 पी.एस.यू. के खाते में बकाया है। इन तालिका में दिया गया है :

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष तक प्राप्त लेखे	वर्ष तक पूरा हुआ लेखा परीक्षा	बकाया लेखे
1	झारखण्ड राज्य शुष्क वन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2014-15	3
2	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड	2013-14	2013-14	4
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2008-09	8
4	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2013-14	4
5	झारखण्ड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2016-17	1
6	झारखण्ड राज्य वेबरेज निगम लिमिटेड	2014-15	2014-15	3
7	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	2013-14	2012-13	4
8	झारखण्ड राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	स्थापना से बकाया (2010-11)	शून्य	8

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष तक प्राप्त लेखे	वर्ष तक पूरा हुआ लेखा परीक्षा	बकाया लेखे
9	झारखण्ड अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2015-16	2
10	झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड	2016-17	2016-17	1
11	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	2016-17	1
12	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2014-15	2
13	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अवसंरचना विकास तथा संग्रहण निगम लिमिटेड	स्थापना से लंबित (2013-14)	शून्य	5
14	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2016-17	1
15	झारबिहार कोलियरी लिमिटेड - गैर-कार्यरत	2016-17	2012-13	1
16	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम	2016-17 (प्रारंभिक खाता)	लेखा परीक्षा प्रगति पर है	1
17	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड	स्थापना से लंबित (2017-18)	शून्य	1
18	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	2016-17	प्रारंभिक खाता	1
19	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर लिमिटेड	स्थापना से लंबित (2016-17)	शून्य	2
	कुल			**53**

(xxiii) व्यपगत और अव्यपगत निधि :

राजस्व जमा, व्यक्तिगत जमा एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत जमा राशि, यदि निर्दिष्ट अवधि के अन्दर दावा रहित है तो झारखण्ड कोषागार कोड, 2016 को नियम 322, 330(ख) एवं 338 के अन्तर्गत व्यपगत योग्य है यद्यपि व्यक्तिगत जमा खाता एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम राज्य में परिचालन में नहीं है।

इसके आलावा, कोर्ट जमा, लोकल फंड जमा एवं जिला बोर्ड निधि अव्यपगत है। ये फंड राज्य में परिचालन में है।

उपरोक्त व्यपगत और व्यपगत निधि का लेखांकन, संचालन और रखरखाव की कार्यप्रणाली जो राज्य में प्रचलित है, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मौजूद वित्तीय नियमों/कोडल प्रावधान के संदर्भ में जाँच किया गया है और देखा गया है कि राज्य कोषागार पदाधिकारियों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को व्यपगत जमा का विवरण जमा करने के अलावा इन फंडो के प्रचालन और लेखांकन में कोई विचलन नहीं है, जिसका पालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(xxiv) अधिक व्यय :

ग्यारह विभिन्न लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय हुआ था। इनमें से ₹ 4.96 करोड़ का अधिक व्यय मुख्य शीर्ष 2075 विविध सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बजट उपबंध नहीं करने के कारण हुआ। शेष मुख्य शीर्ष 2013, 2030, 2056, 2059, 2070, 2210, 2215, 2220, 2505 एवं 4216 के अन्तर्गत अधिक व्यय मुख्य शीर्ष 8658-102 आपत्ति पुस्तक उचंत का पुराना शेष के शोधन के कारण हुआ।

(xxiv) भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन :

भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन संघ और राज्य सरकार के वित्तीय वक्तव्यों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तीन आई.जी.ए.एस. को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है इन आई.जी.ए.एस. के संबंध में अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :-

आई.जी.ए.एस.-1 : सरकार द्वारा दी गई गारंटी: वित्त खाते में डीसक्लोजर के बारे में आवश्यताओं का उल्लेख वित्त खाते के विवरण 9 एवं 20 के साथ किया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी का विवरण बताती है।

आई.जी.ए.एस.-2 : सहायक अनुदानों का लेखा वर्गीकरण : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त या दी गई अनुदान सहायता के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। विवरण 10 आई.जी.ए.एस. 2 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है।

आई.जी.ए.एस.-3 : सरकार द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम : वित्त खाते में आवश्यक डीसक्लोजर दिये जाते है। विवरण 7 एवं 18 आई.जी.ए.एस. 3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है।

अप्राप्त ऋणों और अग्रिमों का पुनर्लेखन, बकाया में ब्याज का भुगतान ऋण के रूप में भुगतान को मंजूरी के रूप में स्वीकृत किया गया है, ऋण संस्थाओं से बकाया राशि में पुनर्भुगतान, नए ऋण और वर्ष के दौरान किए गए अग्रिम और ऋण और ऋण से संबंधित आसाधारण लेन-देन की जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)
महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

क. महालेखाकार के द्वारा किए गए आवधिक समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को		(₹ करोड़ में)
1.	राज्य आपदा दायित्व निधि में केन्द्रांश तथा राज्यांश का स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	421.00
2.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहायता मद में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	2245	प्राकृतिक विपति के कारण राहत	41.95
3.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8009	राज्य भविष्य निधियाँ	224.39

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को		(₹ करोड़ में)
1.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	167.36
2.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	46.57
3.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	49.48
4.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4055	पुलीस पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	29.31
5.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	10.12
6.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	21.71
7.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	51.95
8.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	174.68

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को		(₹ करोड़ में)
9.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	5054	सड़कों एवं पूलों पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-101 लोक निर्माण कार्य जमा	23.98
10.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	27.59
11.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों को जमा - 109 पंचायत निकायों की निधियाँ	50.23
12.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों को जमा - 101 जिला निधियाँ	21.63
13.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2056	जेल	8448	स्थानीय निधियों को जमा - 120 अन्य निधियाँ	46.00
14.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2202	सामान्य शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा - 120 अन्य निधियाँ	271.25
15.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2203	तकनीकी शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा - 120 अन्य निधियाँ	307.37
16.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2204	डेयरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा - 120 अन्य निधियाँ	11.85
17.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों की जमा -111 - चिकित्सा एवं दान योग्य निधियाँ	349.73

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को		(₹ करोड़ में)
18.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों की जमा - 120 - अन्य निधियाँ	316.25
19.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2215	पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता	8448	स्थानीय निधियों की जमा-102 - नगर पालिका निधि	13.36
20.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2216	आवास	8448	स्थानीय निधियों की जमा-108 - राज्य आवासीय बोर्ड निधि	11.36
21.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा-102 - नगर पालिका निधि	791.48
22.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा-120 - अन्य निधियाँ	321.17
23.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा-109 - पंचायत निकायों की निधियाँ	13.18
24.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा-101 - जिला निधि	10.29
25.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियाँ	177.22
26.	नगर निगम/नगरपालिका के.पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियाँ	27.22

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को		(₹ करोड़ में)
27.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2401	फसल कृषि-कार्य	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियाँ	46.00
28.	चिकित्सा निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2402	मृदा एवं जल संरक्षण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 - अन्य निधियाँ	21.58
29.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2404	डेयरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 - अन्य निधियाँ	64.55
30.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	162.00
31.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों को जमा-109 पंचायत निकायों की निधियाँ	33.19
32.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों को जमा-101 जिला निधियां	16.69
33.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2801	ऊर्जा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-107 राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां	2,489.24
34.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2810	नया अपरंपारिक ऊर्जा स्रोत	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	199.99
35.	नगर निगम/नगरपालिका के पी. एल. खाता में स्थानान्तरण	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	50.73

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को		(₹ करोड़ में)
36.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	2852	उद्योग	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	45.73
37.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	3452	पर्यटन	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	25.55
38.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	126.59
39.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	24.62
40.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	223.72
41.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	218.72
42.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	28.40
43.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	17.00
44.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	14.92

अनुबंध-क-क्रमांत:

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं॰	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को		(₹ करोड़ में)
45.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	10.79
46.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	59.75
47.	नगर निगम/नगरपालिका के पी.एल. खाता में स्थानान्तरण	6217	शहरी विकास पर ऋण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-102 नगर निगम निधियां	22.99
कुल						**7,245.09**

अनुबंध-ख
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) से संदर्भित)
पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत वस्तु शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि
2515	00	001	28	गैर पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क के लिए कार्यपालक अभियंता (आर.ई.ओ)	0545	0.22
2202	03	796	12	गैर पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क के लिए कार्यपालक अभियंता (आर.ई.ओ)	0545	0.66
कुल						**0.88**

अनुबंध-ग
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (ii) से संदर्भित)
''800 अन्य व्यय'' के रूप में वर्गीकृत व्ययों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियाँ	कुल व्यय पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1.	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	37.37	54.66	68.37
2.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	336.48	709.17	47.45
3.	6801	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	586.75	1,413.09	41.52
4.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.32	4.13	31.86
5.	2053	जिला प्रशासन	129.66	695.81	18.64
		कुल	**1,091.58**	**2,876.86**	

टिप्पणी : वर्ष के दौरान 11 मुख्य शीर्षों में ''अन्य व्यय'' के अन्तर्गत ₹ 1,161.38 करोड़ दर्ज किया गया है। ''800 अन्य व्यय'' के अन्तर्गत दर्ज 10 *प्रतिशत* से अधिक के कुल व्ययों को इस अनुबंध में दिखाया गया है।

अनुबंध-घ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (ii) से संदर्भित)

''800 अन्य प्राप्तियाँ'' के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1.	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00
2.	0220	सूचना तथा प्रसार	0.01	0.01	100.00
3.	0702	लघु सिंचाई	3.27	3.27	100.00
4.	0801	ऊर्जा	42.47	42.47	100.00
5.	0059	लोक निर्माण कार्य	9.55	9.55	99.98
6.	0701	मध्यम सिंचाई	20.96	21.05	99.55
7.	0215	पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता	8.34	8.45	98.73
8.	0057	पूर्ति तथा निपटान	0.09	0.09	95.66
9.	1054	सड़क तथा सेतु	124.37	143.31	86.79
10.	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	18.54	27.05	68.52
11.	0425	सहकारिता	1.05	1.64	64.25
12.	1055	सड़क परिवहन	0.01	0.01	58.18
13.	0023	होटल प्राप्तियाँ कर	0.00	0.00	44.16
14.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	27.57	69.91	39.44
15.	0071	पेंशन हेतु अंशदान तथा वापसियाँ	1.86	5.55	35.66
16.	0041	वाहनों पर कर	303.56	863.94	35.14
17.	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	5.18	14.79	35.03
18.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	14.72	47.20	31.19
19.	1456	सिविल पूर्ति	1.67	5.66	29.45
20.	7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	13.36	47.07	28.39

अनुबंध-घ-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (ii) से संदर्भित)

''800 अन्य प्राप्तियाँ'' के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
21.	0056	जेल	1.19	6.10	19.57
22.	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.39	8.46	16.36
23.	0403	पशुपालन	0.31	2.33	13.45
24.	0029	भू-राजस्व	51.83	389.38	13.31
25.	0852	उद्योग	5.06	38.41	13.17
		कुल	**656.36**	**1,755.70**	

टिप्पणी : वर्ष के दौरान 47 मुख्य शीर्षों में ''अन्य प्राप्तियाँ'' के अन्तर्गत ₹ 832.91 करोड़ दर्ज किया गया है। ''800 अन्य प्राप्तियाँ'' के अन्तर्गत दर्ज 10 *प्रतिशत* से अधिक के कुल प्राप्तियों को इस अनुबंध में दिखाया गया है।

अनुबंध-ङ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (ix) से संदर्भित)

उचंत एवं प्रेषण शेष

(₹ करोड़ में)

8658-उचंत लेखा						
लघु शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-2019	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101 वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	46.06	24.77	70.90	45.38	150.67	138.66
निवल	नामे 21.29		नामे 25.52		नामे 12.01	
102 उचंत लेखा (सिविल)	160.19	11.59	196.54	17.27	28.67	23.33
निवल	नामे 148.60		नामे 179.27		नामे 5.34	
109 रिजर्ब बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-)0.33	(-)0.26	(-)0.76	(-)0.27	(-)0.82	0.22
निवल	नामे (-) 0.07		नामे (-)0.49		नामे (-)1.04	
110 रिजर्ब बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	0.00	220.18	0.00	0.51	0.00	0.00
निवल	जमा 220.18		जमा 0.51		0.00	
112 स्रोत पर कर कटौती	272.17	314.61	731.86	804.43	731.86	743.81
निवल	जमा 42.44		जमा 72.57		जमा 11.95	
123 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का समूह बीमा	0.78	0.06	1.01	0.09	1.18	0.12
निवल	नामे 0.72		नामे 0.92		नामे 1.06	
8782-उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन						
102 लोक निर्माण प्रेषण	16,750.50	16,721.19	26,822.84	26,889.20	37,102.27	37,220.48
निवल	नामे 29.31		जमा 66.36		जमा 118.21	
103 वन प्रेषण	583.85	584.50	974.89	975.36	1,291.04	1,291.68
निवल	जमा 0.65		जमा 0.47		नामे 0.64	

अनुबंध-च
लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xi) से संदर्भित)
व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	मुख्य शीर्ष	2018-19 के दौरान व्यय	मार्च 2019 में व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	4875	6.50	6.50	100.00
2	6851	0.01	0.01	100.00
3	6515	2.45	2.45	100.00
4	5475	1.14	1.14	100.00
5	2810	199.99	194.41	97.21
6	4403	8.97	8.24	91.86
7	6801	1,413.09	1,135.80	80.38
8	2250	0.30	0.21	70.00
9	2501	485.37	302.30	62.28
10	5452	99.37	58.77	59.14
11	2404	142.99	82.07	57.40
12	4408	3.86	2.19	56.74
13	2245	426.60	237.85	55.75
14	2203	491.93	268.15	54.51
15	2425	157.33	84.99	54.02
16	2415	165.55	84.64	51.13

अनुबंध-छ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xxi) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त में प्रगति व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृति की तिथि
1	पुनासी जलाशय योजना के स्पीलवे-सह-गेट निर्माण (SBD01/2010-11)	36.48	10/06/2010	2010	2012	24	2.18	10.28	32.75	43.04
2	जामुदाग मोड़ से इरकु मोड़ भाया तंतला बांधतर कोतवा इरगु	4.64	24/09/2011	2013	2014	90	0.56	1.04	0.05	
3	सोनाहातु जामुदाग पथ सरयाद भाया शत्रुधनडीह पथ	2.77	04/01/2011	2011	2012	90	0.01	1.46	0.10	
4	पुनासी मिट्टी बांध के चेन सं. 53 से 70 तक निर्माण कार्य तथा मिट्टी आवरण एवं समानांतर सी.ओ.टी.	17.22	22/09/1998	1998	2001	85	13.45	35.24	10.00	45.24
5	पुनासी मिट्टी बांध के चेन सं. 19.50 से 53 तक अवशेष कार्य	7.90	20/03/2013	2013	2014	26	0.00	1.82	6.45	8.27
6	वर्ष 2012-13 में सराईकेला खरसवाँ पथ के 7वें कि.मी. में संजय नदी पर उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल निर्माण कार्य	7.63	27/11/2012	2013	2014	90	0.00	7.37	0.82	-
7	चांडिल बायीं मुख्य नहर के कि. मी. 106.46 से कि.मी. के बीच मिट्टी लाइनिंग सरंचना सह वितरणी ओ.आर.-49ए, 49बी, ओ.एल.-55 इत्यादि	49.29	2011	2012	2014	45	2.21	22.22	27.07	-

अनुबंध-छ - क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xxi) से संदर्भित)

पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त में प्रगति व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृति की तिथि
8	जमशेदपुर में समाहरणालय भवन का जीर्णोद्धार कार्य	2.25	14/02/2017	2014	2014	90	0.00	0.00	1.25	
9	बटाने डेम बराज गेट के अन्तर्गत नियंत्रण कक्ष एवं विनिर्माण रचना की जांच का निर्माण	8.43	11/03/2011	2011	2012	56	0.00	0.18	3.54	
10	चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि.मी. 47.63 से निःसृत सालबूनी नहर (ओ.आर.-22) के जलवाहों क्यू.आर.एस. के अवशेष मिट्टी कार्य संरचना निर्माण कार्य एवं पी.सी. लाईनिंग कार्य (ग्रुप सी.-II)	1.01	12/05/2013	2013	2014	50	0.00	0.48	0.59	
11	चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि.मी. 47.63 से निःसृत सालबानी लघु नहर / ओ.आर.-22) के जलवाहों क्यू.आर.एस. के अवशेष मिट्टी कार्य संरचना निर्माण कार्य एवं पी.सी. लाईनिंग कार्य (ग्रुप सी.-II)	1.85	26/06/2013	2013	2014	80	0.22	1.44	0.41	
12	रामरेखा जलाशय योजना	53.87	2005	2006	2008	89	0.00	50.63	3.26	
13	चैनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत तिलहाटोली से रंगारी चरकाटोली पथ (178.92) एवं बारीडीह से खुबसुता पथ (223.64) में उच्चस्तरीय सेतु निर्माण	7.84	04/04/2011	2011	2013	70	0.00	5.39	2.44	

अनुबंध-छ - क्रमांत
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xxi) से संदर्भित)
पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से अधूरे परियोजना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/कार्यों के नाम	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	पूरा करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त में प्रगति व्यय	बकाया भुगतान	पुनरीक्षित लागत यदि कोई हो/ पुनरावृति की तिथि
14	चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि.मी. 93. 832 से निःसृत ओ.आर.-43 का मिट्टी लाइनिंग कार्य एवं संरचना का निर्माण कि. मी. 0.00 से कि.मी. 9.543 तक	10.51	02/12/2009	2010	2012	77	0.00	4.16	0.00	
15	चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि.मी. 7.30 से कि.मी. 16.24 तक डब्ल्यू बी.एम. पथ का निर्माण	1.85	10/12/2010	2011	2011	63	0.13	0.13	0.91	
16	खरकई दायां मुख्य नहर के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 12.22 तक मिट्टी एवं लाईनिंग का निर्माण कार्य	45.98	08/11/2011	2012	2014	86	1.35	40.69	0.01	45.98
17	चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि.मी.78.00 से कि.मी.127.88 पर माइक्रो वितरणी कार्य	7.94	07/11/2013	2014	2014	91	0.00	8.42	0.89	
18	चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि.मी. 64.94 से कि.मी. 94.20 पर डब्ल्यू.बी.एस. मेटल सेवा पथ का निर्माण	7.90	27/12/2010	2011	2013	98	0.00	3.45	0.30	
19	चांडिल बांयी मुख्य नहर के कि.मी. 59. 878 पर लिक प्रूफ बनाना एवं दस वर्षों की अवधि के लिए रिसाव प्रूफ की संरचना को बनाए रखना।	1.12	16/07/2013	2013	2014	43	0.06	0.06	0.63	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2019

www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in

4728/19 • Kailashpaper.org • 92631 80313 / 14 / 15